शासकीय उपयोग हेतु

प्रकाशन क्रमांक :

कमार जनजाति ग्राम में हाट-बाजार

एक मोनोग्राफ अध्ययन

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

Chhattisgarh

TRTI

TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक :

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

कमार जनजाति ग्राम में हाट-बाजार

एक मोनोग्राफ अध्ययन

निर्देशन शम्मी आबिदी IAS

प्रस्तुतिकरण

डॉ. अनिल विरूलकर

मीना धनेलिया

अंकिता कुंजाम

निर्मल बघेल

अमर दास

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

अनुक्रमणिका

अध्याय - 1	प्रस्तावना	1-2
अध्याय - 2	आदिम अर्थव्यवस्था एवं आदिवासी हाट-बाजार	3-6
	कमार जनजाति का संक्षिप्त परिचय	7-11
अध्याय - 3	कमार जनजाति की अर्थव्यवस्था में बाजार का महत्व	12-15
अध्याय - 4	एक साप्ताहिक हाटर बाजार : ग्राम - लिटिपारा	16-20
	कमार क्षेत्र के एक नवीन बाजार की स्थापना	21-25
अध्याय - 5	जनजातीय क्षेत्र में बाजार का दिन	26-45
अध्याय - 6	समस्या एवं सुझाव	46-47
	सारांश	48

अध्याय - 01 : प्रस्तावना

अपने अस्तिव को बनाए रखने के लिए मनुष्य अपनी तीन मूलभूत आवश्यकताओं, जिन्हें जीवन का आवश्यक भौतिक मूल्य कहा जाता है, को जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये मूलभूत आवश्यकताएं– भोजन, वस्त्र और निवास हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे संग्रहण से लेकर उत्पादन जैसे अनेक कार्य करने पड़ते है। मानव उत्पादन करता है और उत्पादित वस्तु का उपभोग भी, परन्तु उत्पादन का कार्य सदैव अकेला व्यक्ति ही नहीं करता, वरन् इसमें अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता भी होती है। अतःवह अपने द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे लोगों को देकर उसके बदले में अपने आवश्यकता के अनुरूप अन्य दूसरी वस्तु लेता है। वस्तुओं के इसी आदान प्रदान से विनिमय जैसी व्यवस्था का आरंभ होता है। इस प्रकार उत्पादन, उपभोग विनिमय तथा वितरण मिलकर मनुष्य के आर्थिक जीवन को क्रियाशील बनाते है, और एक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में बाजार के स्वरूप को जन्म देते है।

व्यापार व विनिमय के लिए सरल व जनजातीय समाजों में निश्चित समय एवं स्थान पर बाजार लगते हैं, जिन्हें 'साप्ताहिक हाट–बाजार' कहा जाता है। ''हाट–बाजार'' आदिवासी क्षेत्रों में जीवन का अभिन्न अंग है। एक निश्चित दिवसों के अंतराल के बाद आने वाले हाट बाजार स्थानीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं।

साप्ताहिक हाट बाजार से तात्पर्य खुले आसमान के नीचे या खुले स्थान में स्थापित किया गया ऐसा स्थानीय बाजार, जिसमें लोग सामान खरीदने और बेचने के लिए आस–पास के क्षेत्रों से इकट्ठा होते हैं। हाट बाजारों का संचालन नियमित रूप से किया जाता है। लोग पैसे/वस्तु के साथ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में हाट बाजार व्यापारिक लेने देने केस साथ–साथ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने का अवसर प्रदान करते हैं।

ये हाट बाजार शहरी क्षेत्रों के बाजारों की तरह विकसित एवं विविधता लिए हुए नहीं होते हैं। इन स्थानीय साप्ताहिक हाट–बाजारों को बाजार न कहकर 'हाट' कहा जाता है, क्योंकि इनमें खरीददार एवं बेचने वाले दोनों पारदर्शी होते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

जनजातीय हाट–बाजार के अध्ययन के उद्देश्य निम्नांकित है –

1. जनजातीय हाट–बाजार किस प्रकार से किसी जनजातीय जनजीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से जनजातीय सदस्य अपने भौतिक व आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करता है का अध्ययन करना।
2. हाट–बाजार के माध्यम से समुदाय किस प्रकार से अपने द्वारा संचित उपजों व उत्पादों का विक्रय कर अर्थोपार्जन की आवश्यकता को पूर्ण करता है ज्ञात करना।

3. आदिवासी हाट–बाजार की स्थिति एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करना।
4. आदिवासी हाट–बाजार के माध्यम से समुदाय के सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करना।

अध्ययन प्रविधि

उक्त मोनोग्राफ अध्ययन हेतु गरियाबंद जिले के गरियाबंद विकासखण्ड में कमार जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामों से संबंधित ग्राम लिटिपारा का चयन किया गया। ग्राम लिटिपारा का हाट–बाजार क्षेत्र में एक पुराने हाट–बाजार के रूप में जाना जाता है। साथ ही कमार निवासित एक अन्य ग्राम रावनडिग्गी बाजार को भी अध्ययन मे अवलोकन हेतु शामिल किया गया था, क्योंकि उक्त बाजार अभी कुछ वर्षों पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है। जो वर्तमान परिवेश में किसी नवीन स्थान पर बाजार स्थापित किये जाने की आवश्यकताओं की जानकारी हमें प्रदान करेगा।

अध्ययन हेतु क्षेत्रकार्य में साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule), समूह साक्षात्कार (Group Interview) सहभागी अवलोकन (Participant Observation / Interactive Observation), छायाचित्र (Photography) आदि मोनोग्राफ प्रविधि के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों (Primary Data) का संकलन किया गया है। द्वितीयक तथ्यों (Secondary Data) की जानकारी पूर्व प्रकाशित संदर्भ साहित्यों, जनगणना प्रतिवेदनों तथा प्रकाशित प्रतिवेदनों आदि के माध्यम से प्राप्त की गई है।

❑❑❑❑

अध्याय - 02 : आदिम अर्थव्यवस्था एवं आदिवासी हाट-बाजार

आदिम अर्थ व्यवस्था -

सामान्यतः भारतीय जनजातियों का आर्थिक संगठन या उनकी अर्थ व्यवस्था या आधारभूत जीविका निर्वाह की आवश्यकता के रूप में संचालित रही है। जनजातियों की आधारभूत आवश्यकताएं आज भी सीमित है। विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के अनेकों परिवार आधुनिक सभ्यता से पृथक्कीकृत निवास क्षेत्रों में अपनी दैनिक आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग मुद्रा उपकरणों के बिना ही सुचारू रूप से पूर्ण करते है।

राज्य की अनेक जनजातियां विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीविकोपार्जन की पृष्ठभूमि खाद्य संकलक, वनोपज संकलन एवं छोटे जीव–जन्तुओं का शिकार कर उदर पोषण की रही है। जनजातियां लघु वनोपजों जैसे महुआ, चार, चिरौंजी, हर्रा–बहेड़ा आदि का संकलन स्वयं उपभोग अथवा वस्तु विनिमय के प्रयोजन से अधिक करते थे। जिससे वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के अभाव में भी करने में सक्षम होते है।

किसी आदिम समाज की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार उत्पादन, वितरण और उपभोग पर आधारित होता है। आदिम समाज मे उत्पादन की मात्रा अत्यधिक न होकर केवल समाजिक उपयोग/आवश्यकता तक सीमित रहता है। सामाजिक उपयोग के बाद ही उत्पादन का शेष भाग विनिमय हेतु होता है।

आदिम समाज में विनिमय का अधिक महत्व होता है, जिसका कारण इनमें मुद्रा का कम प्रयोग होना है साथ ही आर्थिक वस्तुओं का आधिक्य (Surplus) कम होने के कारण बाहरी विनिमय कार्य नाममात्र का होता है इसलिए आदिम अर्थ व्यवस्था में नियमित बाजार, व्यापार, कोचिया, प्रतियोगिता, एकाधिकार आदि का अभाव या कमी होती है और जहां है वहां भी बहुत कम दिखाई देता है। **(डॉ. रविन्द्र नाथ मुखर्जी - सामाजिक मानवशास्त्र की रुपरेखा)**

विनिमय -

जनजातीय समाजों में आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण परस्पर विनिमय द्वारा ही किया जाता है। विनिमय प्रथा या विनिमय व्यवस्था (Exchange System) एक बहुत ही सरल प्रणाली है जिसमें उत्पादन की वस्तु को परस्पर देकर अन्य से उसके उत्पादन की और अपने आवश्यकता की वस्तु की परस्पर अदला–बदली के माध्यम से की जाती है।

इस प्रकार से विनिमय की वस्तु मात्रा व संख्या दोनों ही बहुत कम होती है इसलिए इस प्रकार के विनिमय में नियमित बाजार या विस्तृत व्यापार प्रणालियों की आवश्यकता नही होती है। आदिम समाजों में विनिमय का सबसे अच्छा उदाहरण है **कूला प्रथा**।

श्री मेलिनोवस्की के अनुसार, ट्रोबियंड द्वीपों मे निवास करने वाली जनजातियों में कूला प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के प्रत्येक पग, प्रत्येक क्रिया परम्परागत नियमों तथा संस्कारों द्वारा नियंत्रित होती है। कूला प्रथा का आधार म्वाली (Mwali) नामक सफेद सीप का कंगन (Arm band) और सौलवा (Soulva) नामक लाल सीप का बना हार (Necklace) है। ये दोनों चीजें एक जनजातीय समूह से दूसरे को एक विशेष दिशा–क्रम मे हस्तांतरित होती है। कूला का उद्देश्य एक सांस्कृतिक गोष्ठी का निर्माण करना है जिससे सदस्य समूह में परस्पर रीति से तथा शांतिपूर्वक व सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे। श्री मेलिनोवस्की के अनुसार कूला एक ऐसी प्रथा है जो आदिवासियों के दृष्टिकोण से उन्हें गौरव तथा प्रतिष्ठा प्रदान करती है, इसलिए इसके प्रति उनका मनोभाव सम्मान सूचक ही होता है।

जिन समाजों में विनिमय या वस्तुओं के अदला–बदली की प्रथा प्रचलित नही है, वहां व्यापार क्रय–विक्रय पर आधारित होता है। इसका मुख्य कारण आदिम या जनजातीय समाज का सभ्य समाज के संपर्क में आना है। जिस कारण इन समाजों में मुद्रा का अधिक चलन व मुद्रा का प्रसार हो रहा है तथा अपनी आर्थिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा पर निर्भर हो गये है।

मुद्रा का उपयोग किसी उत्पाद के एकाधिकार की संभावना को समाप्त करता है। जिससे किसी वस्तु के उत्पादन की सीमा बढ़ने लगती है और समाज मे परस्पर प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता में एक प्रकार की वस्तु का निर्माण या उत्पादन कई सदस्यों द्वारा किया जाता है। उत्पादन की अधिकता, मुद्रा की आवश्यकता और परस्पर संपर्क का उद्देश्य एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मिलने की नीति से बाजार या हाट–बाजार की उत्पत्ति हुई।

हाट-बाजार -

हाट–बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक ही स्थान पर आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं का क्रय, विक्रय और विनिमय सरलता से किया जा सकता है। वहीं हाट–बाजार एक ऐसा स्थान है जहां दो पक्ष वस्तुओं और सेवाओं का आदान–प्रदान करते है। इस व्यवस्था में एक पक्ष क्रेता या खरीददार और दूसरा पक्ष विक्रेता या उपभोक्ता होता है।

एक आम हाट–बाजार मुक्ताकाश में व्यवस्थित होता है जहां भौतिक संसाधनों की अदला–बदली हेतु दोनों पक्ष आमने–सामने होते है। एक बाजार आभासी भी होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता का कोई सीधा संबंध नही होता है। इस प्रकार हाट–बाजार के तीन प्रमुख गुण पाये जाते है –

1. वस्तुओं के आदान–प्रदान या लेन–देन का एक निश्चित स्थान।
2. भौतिक एवं आभासी व्यवस्था।
3. वस्तु की मांग एवं आपूर्ति के आधार पर वस्तु या सेवा की कीमत को स्थापित करना।

इस प्रकार साधारण बोल–चाल की भाषा में 'बाजार' को स्थान विशेष से लिया जाता है जहां ग्राहण (क्रेता) और बेचने वाले (विक्रेता) के बीच वस्तुओं की उचित मूल्य में खरीदी–बिक्री या आदान–प्रदान किया जाता है।

श्री मार्शल के अनुसार ''बाजार से किसी स्थान या क्षेत्र, जिसमें वस्तुओं का क्रय–विक्रय होने का ही बोध नहीं होता अपितु उन समस्त वस्तुओं का बोध होता है, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता के मध्य पारस्परिक प्रतियोगिता होती है।"

केअर्नक्रास बाजार के संबंध में उल्लेख करते है कि ''बाजार का अर्थशास्त्र में अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन–देन का जालसूत्र है।''

जनजातीय हाट-बाजार -

जनजातियों में उनकी सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार या हाट–बाजार जैसी संस्था किसी न किसी रुप में विद्यमान है। जनजातियां सामान्यतः विषम भौगोलिक परिस्थितियों अथवा क्षेत्रों में निवासरत होती है। वर्तमान में भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमित बाजार दुर्लभ होते है।

जनजातीय हाट–बाजार में एक निर्धारित समयावधी एवं स्थान पर लोग एकत्रित होते है और अपनी वस्तुओं को मुद्रा के माध्यम से या विनिमय के माध्यम से प्राप्त करते है। इनके बाजार साधारणतया साप्ताहिक या पाक्षिक होते है। जनजातीय परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं में तेल, नमक, मसाले, के अतिरिक्त श्रृंगार सामग्रियां, बिड़ी, तम्बाकू आदि प्रमुख स्थान रखते है जिनका साप्ताहिक रुप से अथवा अगले बाजार दिवस तक के भण्डारण हेतु हाट–बाजार का विशिष्ट महत्व दिखाई देता है। साथ ही बाजार में अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों से मेल जनजातियों में इसके महत्व को और अधिक बढ़ाता है।

जनजातीय समाजों के सामाजिक संस्कारों विशेषकर विवाह से संबंधित सामग्रियों की भी व्यवस्था हेतु भी साप्ताहिक हाट–बाजार जनजातीय जीवन में प्रासंगिक है। जहां पर अपने दैनिक जीवन के उपयोगी वस्तुओं के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक एवं धार्मिक उपयोग की वस्तुओं का विनिमय एवं क्रय–विक्रय किया जाता है। अधिकांशतः व्यक्ति वस्तु खरीदने के लिए अपने घर में उपज जैसे धान, दलहन फसलों में लाखड़ी (तिवरा), चना, संकलित वनोपज जैसे – महुआ, चार, तेंदु, सरई को हाट–बाजार मे कोचिये या दुकानों में बेचते या विक्रय करते है। जिससे इन्हें बाजार मूल्य के आधार पर राशि या रुपये प्राप्त होते है प्राप्त राशि से गृह उपयोगी, खाद्य उपयोगी व दैनिक उपयोग की सामग्री या वस्तुओं को खरीदते है।

साप्ताहिक हाट–बाजार की 12–15 किमी या उससे अधिक की दूरी पर बसे समुदाय बाजार करने पैदल, साइकिल, मोटर साईकिल व अन्य साधन से पहुंचते है। वहीं कोचिये या व्यापारी वर्ग दो पहिया या चार पहिया वाहनों में अपने विक्रय के सामान लादकर बाजार आते है। बाजार में लगे शेड (अस्थायी झोपड़ी) में कोचिये, दुकानदार या बेचने वाले अपने उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाते है, जिससे खरीददार अपनी आवश्यकता व स्वेच्छा की वस्तुओं को आसानी से पसंद कर सके।

❑❑❑❑

कमार जनजाति का संक्षिप्त परिचय

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायो एवं उसके उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करते हुए उनमें से 5 अनुसूचित जनजाति समूहो को विशिष्ट लक्षण आधारित मापदण्ड यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिमज तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह घोषित किया गया है जिसमें से कमार अनुसूचित जनजाति एक है।

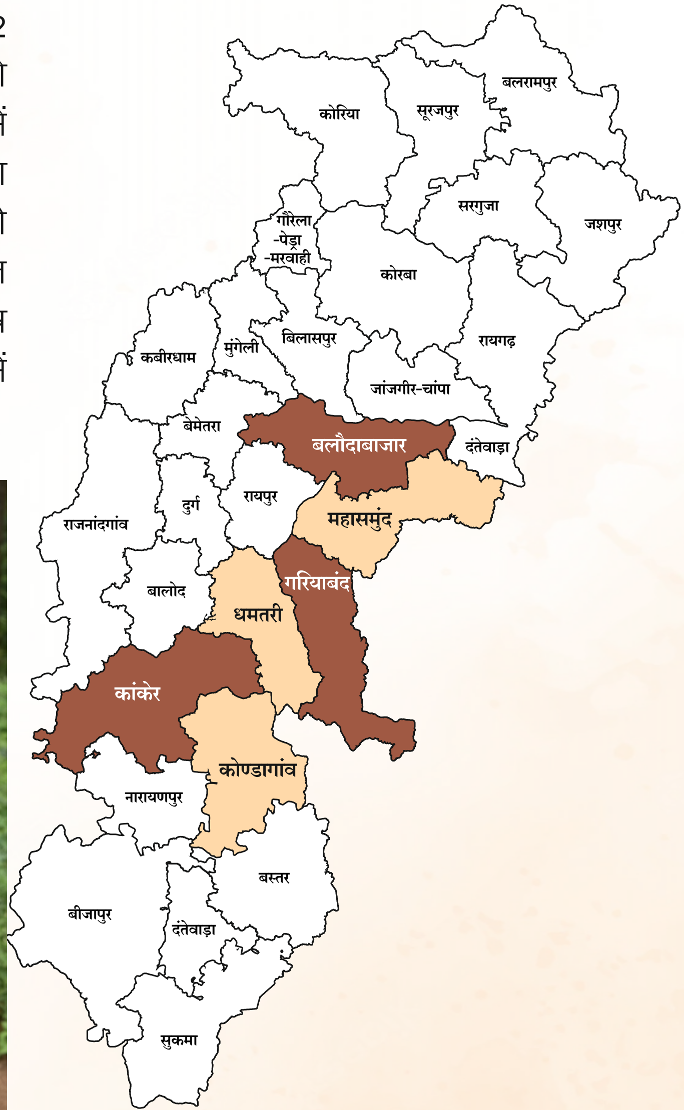

कमार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, नगरी, मगरलोड, महासमुंद एवं बागबाहरा विकासखण्डों के छोटे–छोटे वन ग्रामों एवं पहाड़ियों की तराइयों एवं जंगलों में नाले एवं जल स्त्रोतों के निकट निवासरत हैं।

कमार जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति देवडोंगर से मानते हैं, उनका सबसे बड़ा देवता आज भी देवडोंगर के ''वामन डोंगरी'' में स्थापित है, जिसे वामन देव के नाम से जानते हैं। सामान्यतः कमार स्वयं को पहाड़िया भी कहते हैं। क्योंकि इनके पूर्वज घने जंगलों के पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते रहे हैं। एक अन्य किवदंती अनुसार जब भगवान महादेव सभी मानव जाति को दान दे रहे थे तब सबसे अंत में एक शेष व्यक्ति को तीर–कमान दान में देकर जिससे उसकी जीविका चलाने को कहा कालांतर में उसके वंशज कमार कहलाये।

कमार जाति में नवजात बालक शिशु के जन्म उपरांत नाल को कांड़ (तीर) से एवं नवजात कन्या शिशु की नाल धुरी 'कहरा' (कच्चे बांस का छिलका) से काटते हैं। नाल को घाव से बचाने एवं शीघ्र सुखने हेतु करील (बांस का नया कोपल) के रस तेल आदि पारंपरिक औषधि लगाई जाती है। इनमें विवाह प्रस्ताव लड़के पक्ष द्वारा रखा जाता है तथा विवाह की बातचीत तय होने पर ''सुकधन'' (वधु मूल्य) के रूप में चालव, दाल, महुए का शराब एवं नगद रूपया वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। इनमें विवाह सामान्यतः तीन दिन का होता है। विवाह संस्कार परिवार या समाज बुजुर्ग अनुभवी संबंधी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। कमार जनजाति में ममेरे–फुफेरे विवाह संबंध को प्राथमिकता दी जाती है तथा घरजिया (घर जमाई), गुरावट, पैठू, चूड़ी विवाह आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त विवाह संबंध है। कमार जनजाति में जीवन का अंतिम संस्कार मृत्यु को माना जाता है। इनमें मृतक को दफनाया जाता है। तीसरे दिन तीजनहावन, पांचवे या तेरहवें दिन क्षमता के अनुसार मृत्यु भोज दिया जाता है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति आत्मावादी है। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु उपरांत वर्ष भर में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसे मृत पूर्वज की पुनः वापसी मानी जाती है।

कमार जनजाति अपने जीवन में होने वाले परलौकिक घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विभिन्न अवसरों पर करते हैं। इनके देवी–देवताओं में कचना धुरवा (कमारों के राजा जिसे देव रूप में पूजा जाता है) वामन देव, जात्रा त्यौहार के दौरान बकरे, मुर्गे की पूजेई देकर पूजा जाता है। भीमादेव (इनका निवास सरई वृक्ष के नीचे होता है) हिंगलाज (देवी को खैरा बकरा की भेंट दी जाती है) भुरमाटी / मागरमाटी (भूमि देवता) जंगल देवता तथा पूर्वज देव माता डूमा की विशिष्ट अवसरों पर इनकी पूजा की जाती है। कमार जनजाति के स्थानीय त्यौहारों का संबंध भी इनकी धार्मिक व्यवस्था एवं अलौकिक शक्तियों पर विश्वास को प्रदर्शित करता है। नई फसल आने के बाद उक्त अनाज का उपभोग करने के पूर्व निकट संबंधियों को आमंत्रित कर अनाज पकाकर पूर्वज देव को भेंट चढ़ाकर नवाखाई का उत्सव मनाया जाता है।

क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में कमार जनजाति गोंड, बिंझवार, भुंजिया, कंवर जनजातियों के साथ निवासरत हैं जबकि कुछ ग्रामों में शत्प्रतिशत कमार स्वजातीय सदस्य निवासरत हैं। इनके ग्रामों में तेंदू, चार, महुआ, साल आदि के वृक्षों की अधिकता होती है। ग्राम में छोटी–छोटी पगडंडिया व कच्चे रास्ते आवागमन हेतु होते हैं। इनके आवास के एक कमरे के एक कोने पर ''पीतर कुरिया'' (पूर्वज देव) का स्थान निश्चित होता है तथा कमरे के एक कोने में या सामने बराण्डा में एक ओर रसोई होती है। इनके आवास में घरेलू उपकरण के रूप में अनाज या धान रखने के लिए पैरा की मोटी रस्सी का बना गहराई युक्त घेरा या बांस की तीलियों से बना गहरा घेरा जिसे मिट्टी से दोनों ओर से लेप कर बनायी गयी धान रखने की ''कोठी'' बांस की टोकनी, सूपा, बांस की ''चाप'' (चटाई) धान कूटने की ''ढेकी'' पानी भरने मिट्टी एवं एल्यूमिनियम के दो से तीन ''कसेला'' मटकी या गुंडी दो से तीन पिछौने तथा पहनने के कपड़े अल्प मात्रा में होते है।

इनका मुख्य भोजन चांवल दाल या साग है। कोदो चांवल या मड़िया की पेज कमार लोग बड़े चाव से उपभोग करते हैं। पेज के साथ मिर्च, नमक के साथ कभी–कभी लहसून या टमाटर की चटनी का उपभोग बहुत ही सामान्य है। उपलब्धतानुसार तथा त्यौहारों, धार्मिक कर्मकाण्डों एवं अंतिम संस्कार में बकरा, मुर्गा आदि का उपभोग करते हैं। मादक पेय पदार्थ के रूप में प्रायः दैनिक रूप से महुए की बनी कच्ची शराब मंद का सेवन स्त्री एवं पुरूष दोनों करते हैं। साथ ही महुए की मंद इनके सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण भाग है। पुरूष वर्ग विशेष रूप से वृद्ध पुरूष तेंदूपत्ते में तम्बाखू लपेट कर ''चोंगी'' पीना पसंद करते हैं वहीं अधिकतर महिलाए तम्बाखू व गुड़ाखू का सेवन करती हैं।

भूमि की गुणवत्ता सिंचाई साधनों की कमी आदि कारणों से मोटे अनाज कोदो, कुटकी, मड़िया, मक्का (जोंधरा) उड़द, कुल्थी एवं मोटा धान का सिमित उत्पादन प्राप्त करते हैं। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आर्थिक जीवन वन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। वनोपज संकलन के रूप में उपलब्धतानुसार महुआ, टोरी, तेंदूपत्ता, साल बीज, कोसम बीज, चार–चिरौंजी गोंद, हर्रा बेहड़ा, आंवला आदि का संकलन करते हैं जिसमें से स्वयं उपभोग एवं विक्रय कर अर्थोपार्जन करते हैं। वनोपज संकलन में प्रायः कमार स्त्री एवं बच्चों भूमिका विशेष रहती है।

कृषि कार्य एवं वनोपज संकलन के अतिरिक्त मुख्य रूप से अपने परंपरागत व्यवसाय बांस बर्तन निर्माण पर मुख्य रूप निर्भर रहती है। कमार परिवार के प्रायः सभी सदस्य (स्त्री–पुरूष) बांस बर्तन निर्माण कला में पारंपरिक रूप से दक्ष होते हैं। बांस बर्तन के रूप में कमार, झौंहा, टोकरी, सूपा, चटाई तथा विवाह आदि के अवसर पर बांस के पंखे, झांपी, पर्रा तथा मौर इत्यादि बनाने का कार्य भी करते हैं। बांस बर्तन निर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में कच्चा बांस (हरा बांस) लाने प्रायः कमार पुरूष स्थानीय वनों से घूम–घूमकर बांस काटकर अपने घर लाता है। वनों में बांस इत्यादि की कमी होने के कारण इन्हें दूर–दराज के जंगलों पहाड़ों में भी जाना पड़ता है। बांस बर्तन निर्माण पश्चात उक्त सामग्री की विक्रय हेतु प्रायः कोचिये पर निर्भर रहना पड़ता है। कमार महिलाएं साप्ताहिक रूप से तैयार बांस बर्तनों को निकट के साप्ताहिक हाट बाजारों में ही ले जाकर विक्रय करती हैं तथा उससे प्राप्त रूपयों से साप्ताहिक दैनिक उपयोग की वस्तुएं बाजार से खरीदती हैं।

कमार जनजाति द्वारा बनाये जाने वाले बांस बर्तन एवं उनके मूल्य का विवरण निम्नांकित है –

क्र.	वस्तु का नाम	कमारी बोली	कमार द्वारा कोचिया को विक्रय मूल्य	कोचिये द्वारा बाजार में विक्रय मूल्य (प्रचलित)
1	टुकना–टुकनी	टुकना–टुकनी	30	50
2	छोटी टुकनी	बुटी	25	35
3	पैली	कुरो	40	60
4	झउंहा	गोबराही	60	80
5	गप्पा	चंगोरा	40	50
6	सूपा	सूपा	90	110
7	चटाई	चाप	120	140
8	बीजबोनी	झेन्झरी	40	50
9	डाली	डलिया	60	70
10	ढालांगी	ढोलगी	150	160–170
11	पर्रा	पर्रा	55	65
12	पंखा	हाथखाड़ा	15	20
13	चुरकी	चुरकी	30	40
14	खुमरी	मुड़ा	80	90
15	झांपी	झांपी	130	145–150
16	झाडू	बाहरी	15	20
17	खरहरा	वाधना	15	20
18	झूनझूना	झुनझूना	15	20
19	काठा	काठा	80	90–100
20	मौर	मौर	20	30
21	झाल	छारनी	80	90–100

अध्याय - 03 : कमार जनजाति की अर्थव्यवस्था में बाजार का महत्व

आदिम जनजातियां, आधुनिक सभ्यता से परे, पहाड़ी अंचलों पर निवास क्षेत्र, आधुनिक स्वरूप से अनभिज्ञ, कृषि, व्यवसाय, उद्योग धंधों, शिक्षा से अपरिचित तथा मानव से थोड़े अधिक विकसित अपने अल्पसाधनों से सामान्य जीवन जीना ही सीख सकें है। ''कमार'' आदिम जनजाति की जीवनशैली भी साधारण, सरल एवं वन केंद्रित है। समय के साथ–साथ इनके आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया है।

प्राचीन समय में कमार जनजाति की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्थानांतरित कृषि 'डहिया', शिकार या आखेट करना, वनोपज जैसेः– तेंदु, महुआ, चार, आंवला, ईमली, तिखूर, करील, जामुन, लाख, साल बीज, तेदुपत्ता तथा कंदमूल का संग्रहण करना, दूध, मांस, आदि के लिए पशुपालन करना आदि था। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि होने के साथ–साथ वनों के आकार में कमी, तथा वनों पर सरकारी प्रतिबंध होने के कारण वे आर्थिक रूप से अन्य गतिविधियों की ओर अग्रसर हुए।

कमार जनजाति कृषि के अतिरिक्त मुख्य रूप से बांस–बर्तन निर्माण के अपने परंपरागत व्यवसाय में संलग्न रहकर जीविकोपार्जन कर रहे है। अधिकांश कमार परिवार में प्रायः सभी सदस्य (स्त्री–पुरुष) बॉस बर्तन निर्माण कला में पारंपरिक रूप से दक्ष होते हैं। बॉस बर्तन के रूप में कमार बॉस निर्मित टुकना–टुकनी, झउंहा, गप्पा, सूपा, पर्रा, हाथखड़ा (पंखा) चुरकी, झाल (झारनी), झांपी, थापा, बिसड़, चटाई (चाप) एवं मौर इत्यादि बनाने का कार्य भी करते हैं।

बांस बर्तन के निर्माण मे प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग–अलग होती है। जहां एक वयस्क पुरूष सदस्य जंगल से बांस काटकर लाने, उससे पाती और नेर (महीन पंक्तियां या रेशे) निकालने का कार्य करता है, जिसके बाद महिलाएं उसे वस्तु का स्वरूप में गुथती है। इस कार्य में घर की वृद्ध महिलाएं भी अपने परम्परागत कौशल से बांस बर्तन बनाती है और परिवार के छोटे सदस्यों को भी यह कौशल सिखाती है। महिलाओं के साथ–साथ कुछ पुरूष सदस्य भी बांस–बर्तन गुथने की कला मे निपुर्ण होते है और अपना सहयोग परिवार को देते है।

बर्तन बनाने वाले बांस को रंगने के लिए महुर रंग या हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जिससे बर्तन को सुंदर रूप दिया जाता है बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। कमार जनजाति बॉस–बर्तन का विक्रय स्थानीय कोचिया, हाट–बाजार आदि में करते है। अधिकांशतः महिलाएं ही हाट–बाजार में अपने उत्पाद/बांस–बर्तन को का विक्रय एवं विनिमय करती है तथा उससे प्राप्त आय से साप्ताहिक दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं साग भाजी बाजार से खरीदती है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से बॉस – बर्तन एवं वन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

कमार द्वारा विक्रय हेतु निर्मित बांस बर्तन -

1/ **पर्रा** - पर्रा निर्माण का कार्य बांस के मोटी कमानी – पाती एवं कम चोड़ी वाली पतली कमानी – नेर से किया जाता है। यह गोल एवं गहरा लिए होता है तथा इसकी चौड़ाई अधिक होती है। पर्रा का उपयोग घरेलु कामों में किया जाता है। बड़ी बनाने, पापड़ बनाने आवश्यक वस्तुओं को रखने एवं सामान को लाने ले जाने के लिए भी पर्रे का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में बाजार में इसका मूल्य 100 से 150 रूपए जोड़ी है।

2/ **टूकना** - टूकनी निर्माण में बांस के पतले कमानी–नेर का प्रयोग किया जाता है। जिसे गोल–गोल बुना जाता है। ये गहरा होता है, इसकी सुंदर आकृति के लिए विभिन्न रंगों लाल, गुलाबी, महुर का प्रयोग कर रंग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलु सामग्री रखने धान रखने, वनोपज संग्रहण के लिए किया जाता है बाजार में यह टुकना 80–100 रूपए में बेचा जाता है। कमार महिलाएं एक दिन में 02 टूकना बना लेती है।

3/ **सूपा** - यह आयताकार लिए हुए अग्रभाग चौड़ा व पृष्ठ भाग अपेक्षाकृत कम चौड़ाई वाली होती है। इसके निर्माण बांस की चौड़ी एवं पतली कमानी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर कृषि कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। धान की भूसी को अनाज से अलग करने, चावल साफ करने में उपयोग किया जाता है। बाजार में इसका मूल्य 80–120 रूपए है।

4/ **धूकना** - इसका निर्माण बांस के पतली कमानी नेर एवं चौड़ी कमानी पाती का प्रयोग कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग गर्मी के दिनों में हवा करने के लिए उपयोग किया जाता है। विवाह संबंधी कार्यो में धुकना का प्रयोग आदिवासी समाज एवं अन्य समाजों में देखने को मिलता है।

5/ **छतोड़ा** - छतोड़ा बनाने के लिए भी बांस का प्रयोग किया जाता है। इसे बांस को चौड़ी एवं मोटे कमानी पाती एवं नेर से तैयार किया जाता है। ये चौड़े आकार का होता है। इसे छतरी के रूप में बरसात के दिनों में पानी से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान समय में प्लास्टिक, स्टील आदि ने दैनिक जीवन में अपनी पहुंच बना ली है, परन्तु ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल वैवाहिक कार्यक्रमों में पर्रा, टुकनी, धुकना तथा कृषि उपकरणों मे सूपा, टुकनी आदि आज भी बांस बर्तनों का उपयोग आज भी प्रासंगिक है।

जनजातियों में बाजार का उद्देश्य -

जनजातीय जीवन में बाजार का मुख्य उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिसमें वस्तुओं का विक्रय और क्रय एक माध्यम होता है। एक जनजाति या ग्रामीण बाजार पहुंचने पर उस गांव के प्रवेश पर ही वनोपज क्रय करने वाले व्यवसायी दुकान पर अपने वनोपजों का विक्रय करते हैं तथा उससे मिले पैसे का उपयोग बाजार करने या आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने के लिए करता है। रंग बिरंगी दुकानों से सजा बाजार लोगों के मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। कुछ अपनी आजीविका के लिए, कुछ अपने दैनिक उपभोग की वस्तुएं क्रय करने हेतु, तो कुछ युवा केवल मनोरंजन के लिए बाजार घूमने आते हैं।

इसके साथ–साथ जनजातीय हाट–बाजार केवल क्रय–विक्रय का माध्यम ही नही है। यह एक सामाजिक समरसता का केन्द्र भी है। कुछ युवा किसी अन्य गांव की अपनी पसंद की लड़की को देखने के लिए भी बाजार जाते हैं। नवयुवक–युवतियां अपनी पसंद के लड़की–लड़के को देखने और बात करने के उद्देश्य से भी लंबी दूरी तय करके बाजार आते हैं। पूर्व में बाजार में ही लड़का अपने विवाह के लिए लड़की को पसंद कर लेता था उसके पश्चात लड़की का गांव, घर आदि पता कर रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाती थी। यह प्रचलन आज भी जीवित है। अतः उनका बाजार आने के पीछे का उत्साह देखते ही बनता है।

❑❑❑❑

अध्याय - 04 : एक साप्ताहिक हाट बाजार: ग्राम - लिटिपारा

राज्य के गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 35 किमी. की दूरी पर बसा एक ग्राम है लिटिपारा। यह ग्राम क्षेत्र में प्रवाहित पैरी नदी के किनारे, गगनचुम्बी साल वृक्ष के जंगल से घिरा हुआ है। डामरीकृत पक्की सड़क ग्राम को ब्लॉक मुख्यालय व जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ग्राम लिटिपारा ग्राम पंचायत दातबायकला के आश्रित ग्रामों यथा रायआमा, लिंगडीही, भैंसादादर और बोकरामुड़ा में से एक है। जो इस ग्राम पंचायत का केन्द्र बिन्दु भी है। जनसंख्यात्मक दृष्टि से दातबायकला ग्राम पंचायत जनजातीय बाहुल है। इस ग्राम पंचायत में कुल 448 परिवार निवासरत है तथा इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों की कुल जनसंख्या 1432 (महिला 728, पुरूष 704), अनुसूचित जाति परिवारों की कुल जनसंख्या 158 (महिला 87, पुरूष 71) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 303 (महिला 160, पुरूष 143) जनसंख्या शामिल है। ग्राम लिटिपारा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 840.28 वर्ग किमी. है। आदिवासी क्षेत्र में सरकारी तंत्र तथा शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसी जैसे उचित मूल्य की दुकान, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानों का,गांव में होना तथा सात दिनों के अंतराल में होने वाला हाट–बाजार लिटिपारा गांव को अन्य गांवों से अलग करता है।

लिटिपारा ग्राम की बसाहट लंबवत–गोलाकार है। ग्राम में अधिकांश घर कच्चे प्रकार के है जो सड़कों के दोनों ओर व्यवस्थित है। जिला मुख्यालय की सड़क से ग्राम में प्रवेश करने पर सड़क के दोनों ओर लम्बे–लम्बे साल–सरई वृक्षों से घिरे प्राथमिक व माध्यमिक शाला भवन, आदिम जाति छात्रावास, उचित मूल्य की दुकानें, स्टेशनरी आदि संचालित है, जिनके समीप स्थानीय ग्रामीणों की कुछ छोटी किराना, सायकिल स्टोर आदि है। ग्राम विद्युतीकृत और सड़कों में विद्युतीकृत प्रकाश की व्यवस्था है। ग्राम में जाति विशेष के बाहुल निवास क्षेत्र को पारा कहा जाता है। प्रत्येक पारा में सार्वजनिक पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

गांव के हद्य स्थल पर बहुत बड़ा खुला स्थान है, जहां बीच–बीच में आम एवं सरई के वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, इसी स्थान पर साप्ताहिक रूप से हाट–बाजार प्रति बुधवार के दिन आयोजित किया जाता है।

लिटिपारा गांव के मध्य में 0.34 हेक्टेयर में फैला साप्ताहिक हाट–बाजार अपने क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है। आदिवासी क्षेत्र होने वनोपज की बहुतायत, लोगों की वनकेंद्रित जीवनशैली तथा निकटवर्ती ग्रामों में विभिन्न जाति/जनजातीय समाज के साथ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार तथा भुंजिया का होना इस साप्ताहिक हाट–बाजार को विशिष्टता प्रदान करता है।

लिटिपारा बाजार की पृष्ठभूमि -

लिटिपारा हाट–बाजार वर्तमान में जितना जनजातियों व ग्रामीणों के लिये महत्वपूर्ण है, उतना ही उसका महत्व पूर्व समय में रहा है। ग्राम के वरिष्ठ व वृहदजनों के अनुसार इस हाट–बाजार का संचालन लगभग 70–80 वर्ष पूर्व से किया जाता रहा है तथा प्रारंभ से ही लिटिपारा गांव के आस–पास 30–40 कि.मी. के परिधि में आने वाले गांवों के बीच लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार है। पूर्व यह बाजार ग्राम से लगे जंगल में आम तथा सरई वृक्षो के बीच के रिक्त स्थान लगा करता करता था, इन्ही वृक्षों की छाया में ग्रामीण/व्यापारी अपने समान के साथ बाजार में बैठा करते थे। इस स्थान के समीप एक कुंआ भी हुआ करता था जिसके पानी का उपयोग बाजार में आये लोगों व ग्रामीणों द्वारा किया जाता था।

ग्राम लिटिपारा स्थानीय धार्मिक आस्था के क्षेत्र के कारण भी महत्वपूर्ण रहा है। ग्राम में उक्त स्थान पर चंडी माता का स्थान है। जहां प्रतिवर्ष चंडी माता की पूजा अर्चना कर दो दिवसीय 'मंड़ई' का आयोजन किया जाता था। इस आयोजन में प्रथम दिवस 'मंड़ई' तथा द्वितीय दिवस 'हठरी' होता था। जहां दूर–दराज के ग्रामों से भी जनजाति व गैर जनजाति लोग अपनी आस्था से तथा मड़ई मनाने के उद्देश्य से लिटिपारा आते थे। परन्तु पिछले 06 वर्षो से ग्राम 'मंड़ई' का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

पूर्व में ग्रामीण जनजीवन या दिनचर्या के अनुसार लिटिपारा का बाजार अर्द्धदिवस अर्थात सूर्य के उदय होने से प्रारंभ होकर सिर पर चढ़ने तक (दोपहर लगभग 12 बजे) के समय में समाप्ति की ओर होता था। बाजार का यह समय ग्रामीण या जनजातीय समय या परिवेश के अनुसार होता था जिससे दूर दराज जंगल व पहाड़ियों से गुजर कर ग्रामों से आये हुये सदस्य सूर्यास्त तक वापस अपने ग्रामों में पहुंच जाया करते थे।

वस्तु के क्रय–विक्रय हेतु विनिमय प्रथा भी प्रचलन में थी। कमार जनजाति अल्प कृषक समुदाय है तथा बांस–बर्तन बनाने की कला में पारंगत जनजाति समुदाय है अतः वह स्वयं बनाये गये बांस बर्तन–पर्रा, टूकनी, सूपा के बदले 'धान' का विनिमय करते थे। इसी प्रकार अन्य जाति समुदाय द्वारा भी अपने उत्पाद का विनिमय किया जाता था। कालांतर में विनिमय के स्थान पर क्रय–विक्रय की प्रथा प्रचलित हुई जिसमें ''आना''तथा ''भोंगरी पैसा'' प्रचलित मुद्रा थी। मुद्रा के चलन में दैनिक उपभोग की वस्तुओं के क्रय के लिए ''1 आना'' पर्याप्त हुआ करता था।

सामाजिक दृष्टिकोण से लिटिपारा केन्द्र होने के कारण हाट–बाजार के दिन अन्य ग्रामों के लोग बाजार के दिवस अनिवार्य रूप से एकत्रित होते थे। जिससे सामाजिक बन्धुओं का परस्पर भेंट भी हो जाया करता था। वहीं जिन महिलाओं का मायका लिटिपारा होता वे भी इस दिन परिवार की खैर–खबर को आ जाती थी। परिवार में किसी आयोजन की सूचना अन्य ग्राम में निवासरत संबंधियों को पहुंचाने का कार्य भी बाजार में हो जाया करते थे। इसके लिए लोग निमंत्रण पत्र या सूचना बाजार में आये किसी परिचित के द्वारा अमुख व्यक्ति को पहुंचाया करते थे तथा अगले बाजार में उसका उत्तर भी उसी माध्यम से प्राप्त कर लिया करते थे। लिटिपारा ग्राम से जुड़े ग्राम को इस प्रकार से देखा जा सकता है –

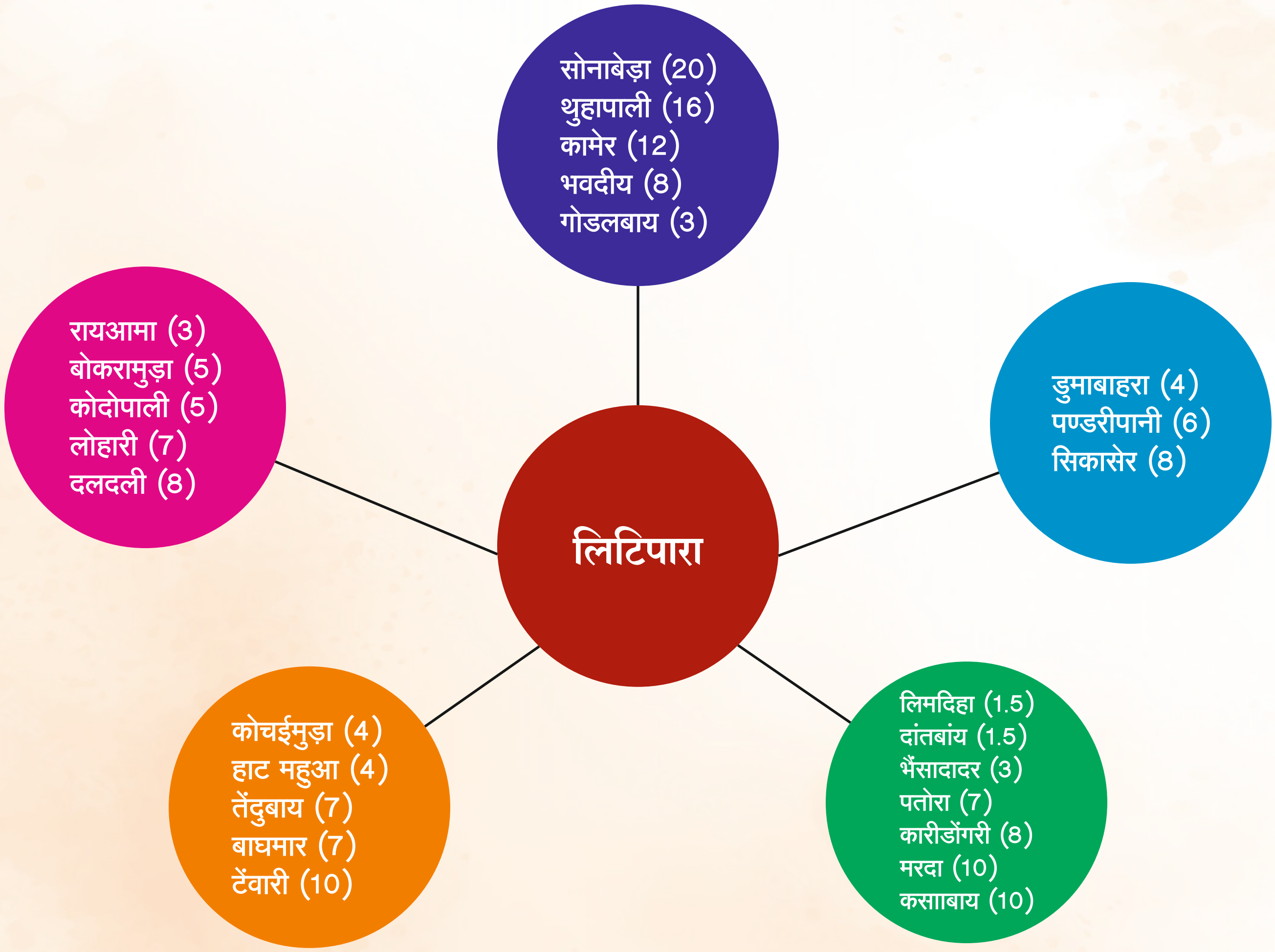

लिटिपारा बाजार

ग्राम लिटिपारा का बाजार के बुधवार के दिन निर्धारित होता है। इस दिन सुबह से ही लोगो की आवा–जाही ग्राम की ओर जाने वाली सड़क पर दिखलाई पड़ती है। सामान्य बाजार दिन चढ़ने के साथ प्रारंभ होता है और दिन के ढलने पर समाप्त हो जाता है। ग्रामीण इस अवधि में ही बाजार करते है। बाजार के दिन बाजार स्थल से लगभग 500 मीटर की दूसरी पर सड़के किनारे 1–2 व्यापारी अपने तिरपाल बिछाकर तथा साथ में तराजू लिये बैठे रहते है। यह व्यापारी ग्रामीणों के द्वारा लाये गये उत्पाद जैसे – धान, चना, दलहन आदि तथा वनोपजों में महुआ, तेंदु, सरई बीज आदि को क्रय कर उन्हें उनका मूल्य राशि के रूप में देते है। प्राप्त राशि को लेकर एक ग्रामीण आगे बाजार की ओर बढ़ता है। अर्थात् 'बाजार करने चल पड़ता है।' पक्की सड़क के एक ओर कुछ स्थायी दुकाने जैसेः–किराना दुकान, सायकल स्टोर्स, छोटे होटल है, वहीं पक्की सड़क के दूसरी ओर अस्थायी दुकाने त्रिकोणीय संरचना में व्यवस्थित है।

बाजार के इस मुख्य सड़क के दोनों किनारों में अस्थायी और स्थायी चबुतरों पर लगता है। स्थायी चुबुतरे बड़े व्यापारियों के तथा अस्थायी चबुतरे छोटे विक्रेताओं के होते है। बाजार की त्रिकोणीय संरचना के प्रारंभ में वाहनों को रखने की व्यवस्था है। बाजार में शासन तथा पंचायत द्वारा निर्मित पक्के एवं कच्चे दोनों प्रकार के शेड़ बने हुए थे, जिनमें दुकानों का संचालन किया जाता है। कुछ दुकाने आम और सरई के वृक्ष के छांव के नीचे लगायी जाती है। बाजार में दुकाने एक पंक्ति में तथा एक दूसरे के सामने लगी रहती है जिसके बीच में क्रेताओं के आने–जाने के लिए मार्ग छोड़ा जाता है जिससे क्रेता सुगमता से वस्तुओं को देख–परख कर उन्हें क्रय कर सके।

अधिकांश बाजार व्यवस्था के अनुरूप लिटिपारा के हाट–बाजार में बाजार का केन्द्र बड़े व्यापारियों जैसे कपड़े की दुकान, राशन की दुकान, सोने–चांदी के आभूषण की दुकाने, मनियारी या श्रृंगार प्रसाधन, बर्तन की दुकाने, मसाले की दुकाने व्यवस्थित होती है तथा इन दुकानों के एक ओर से साग–सब्जियों की दुकाने छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं या ग्रामिणों द्वारा संचालित की जाती है। बाजार का संचालन बाहरी व्यापरियों या विक्रेताओं के साथ–साथ आस–पास के स्थानीय लोगों द्वारा भी किया जाता है। कुछ व्यापारी या विक्रेताओं में कुछ जनजाति तो कुछ गैर जनजाति होते है। अधिकांश जनजाति व्यापारी/विक्रेताओं द्वारा स्थानीय वस्तुएं जैसेः साग–सब्जी, मांसाहार, बांस निर्मित वस्तु आदि का व्यापार किया जाता है, वहीं बर्तन, किराना सामान, आभूषण आदि वस्तुओं के विक्रेता गैर जनजाति सदस्य होते है। जिससे उन्हें अर्थ का लाभ होता है।

ग्राम हाट–बाजार मे कपड़े, मनियारी, चुड़ियों, श्रृंगार, जूते–चप्पल, मसाले, खिलौने, कॉपी–किताब, इलेक्ट्रानिक्स आदि की 1–3 दुकाने ही अधिकांशतः देखने को मिलती है। इसके विपरित हरी साग–सब्जियों की दुकाने छोटी–छोटी किन्तु अपेक्षाकृत बहुतायत में लगी होती है। ग्रामीण मौसमी हरी साग–सब्जियां जैसे–टमाटर, बैंगन फूलगोभी, भिंडी, करेला, बरबट्टी, हरी भाजियॉ आदि स्वयं उत्पादित या बाजार की खपत/बाजार में आने वाले क्रेताओं की संख्या के अनुपात में अन्य बाजारों से या बाड़ियों से क्रय कर लाते है।

उक्त दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त बाजार के एक सिरे या पृथक भाग सामान्यतः यह भाग बाजार के अंत का होता है जहां मांस–मटन एवं स्थानीय व अन्य ताजी मछलियों के विक्रय की दुकाने अन्य दुकानों से थोड़ी दूरी पर लगायी जाती है। कुछ महिलाओं के द्वारा चना–मुर्रा की दुकान तथा स्थानीय तालाबों या नदियों से प्राप्त छोटी मछली को सुखाकर या भूंजकर तैयार की गई '**सुकसी**' को एक टोकरी में रखकर विक्रय किया जाता है। हाट–बाजार में सुकसी को ज्यादातर **भागा** या **कुड़ा** के रूप में बेचा जाता है वहीं–कहीं कहीं इसे मापने के लिए छोटे व बड़े डिब्बो का उपयोग कर उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रों में संचालित हाट–बाजार की एक विशेषता यह भी होती है कि जिन दुकानों का संचालन जनजाति क्रेताओं द्वारा किया जा रहा था, उनमें अधिकांशतः महिलाएं होती है तथा बाजार में अधिकांश खरीददार भी महिलाएं होती है, जो प्रदर्शित करता है कि जनजातीय समुदाय में परिवार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है।

❑❑❑❑

कमार क्षेत्र के एक नवीन बाजार की स्थापना

कमार जनजाति में साप्ताहिक हाट–बाजार के महत्व तथा हाट–बाजार पर उनके आर्थिक, भौतिक, सामाजिक महत्व को ज्ञात करने के उद्देश्य से गरियाबंद जिले के ग्राम रावनडिग्गी में विगत कुछ वर्षों पहले ही से संचालित होने वाले एक और बाजार को अध्ययन में शामिल किया गया है। इस हेतु प्रत्यक्ष क्षेत्रकार्य के माध्यम से ग्राम रावनडिग्गी के ग्राम सरपंच, रोजगार सहायक तथा अन्य ग्रामवासियों की सहायता से लगने वाले साप्ताहिक हाट–बाजार की जानकारी प्राप्त की गई।

रावनडिग्गी ग्राम सोंढुर नदी के तट पर अवस्थित ग्राम है। यह ग्राम इस नदी की सहायक नालों से दोनों ओर से तथा वन क्षेत्र से पूरी तरह घिरा हुआ है। ग्राम वनाच्छादित तथा कृषि भूमि के मध्य बसा है जहां इसे बड़े–बड़े साल–सरई, महुआ आदि के वृक्ष ग्राम एवं ग्रामवासियों को अपने उत्पादों से आर्थिक व भौतिक रूप से सहायता प्रदान करते है।

रावनडिग्गी ग्राम का साप्ताहिक हाट–बाजार प्रति रविवार के दिन लगता है। इस बाजार का इतिहास बहुत पुराना नही है, वरन् इस बाजार का श्रृजन आवश्यकता के आधार पर हुआ है। पूर्व में रावनडिग्गी व अन्य समीपस्थ ग्राम के लिए बाजार के लिए दर्रीपारा ग्राम पर आधारित थे। ग्राम नदियों के मध्य अवस्थित होने के कारण वर्षाकाल में संपर्क विहीन हो जाया करता था साथ ही दर्रीपारा से ग्राम की दूरी लगभग 8 किमी. है जिस कारण ग्रामीणों को एक अधिकतम दूरी तय करने के साथ अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

ग्राम की पूर्व में लगने वाले बाजार से दूरी तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण वर्ष 2004–2005 से ग्राम डिग्गीपारा का साप्ताहिक हाट–बाजार की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

ग्राम रावनडिग्गी जिला मुख्यालय से लगभग 32 किमी. की दूरी पर बसा है जो डामरीकृत पक्की सड़क से जिला/ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। यह ग्राम एक ओर जहां जिला गरियाबंद की परिसीमा में है वहीं जिला धमतरी की सीमा महज 2–3 किमी की है। ग्राम रावनडिग्गी अपने समीपस्थ ग्रामों का पंचायत क्षेत्र भी है। जिसके अन्तर्गत चिपरी, सेम्हरा, पण्डरीपानी, पेन्ड्रा, नवागांव आश्रित ग्रामों के रूप में लगभग 5 किमी. की परिधि में अवस्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्राम कुल 692.43 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है। ग्राम की कुल जनसंख्या का लगभग 90.00 प्रतिशत (451)अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 238 एवं महिला जनसंख्या 213 शामिल है। ग्राम में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल 38 (महिला 15, पुरूष 23) जनसंख्या परस्पर समरसता के साथ निवास करती है। इस प्रकार ग्राम रावनडिग्गी में कुल 122 परिवार निवासरत है जिसमें गोंड, हल्बा एवं कमार जनजाति के साथ–साथ यादव, निषाद, मरार, विश्वकर्मा एवं तेली जाति के परिवार सामाजिक सहसंबंध स्थापित करते है।

जिला मुख्यालय की सड़क ग्राम के मध्य में बनायी गई अटल चौक पर जाकर मिलती है। जहां से ग्राम व्यवस्था चारों दिशा में दिखाई देती है। इस चौक या चौराहे से दायीं ओर कच्ची सड़क गोंड पारा से होते हुए नाले में पहुंचाती है जिसे पार कर पण्डरीपानी ग्राम जाया जा सकता है। चौराहे से बायीं ओर जाने पर कमार पारा की व्यवस्था दिखाई देती है जहां कच्ची सड़क आगे छोटे पहाड़ व वन में प्रवेश करती है जहां पेण्ड्रा ग्राम जाने की पगडंडियां मिलती है।

रावनडिग्गी ग्राम में गोंड पारा एवं कमार पारा में ही मिश्रित रूप से अन्य जाति समुदाय के परिवारों के आवास भी है। ग्राम में कच्चे–पक्के आवासों का मिश्रण है, कच्चे परम्परागत रूप से मिट्टी, खपरैल, लकड़ी, खदर आदि से निर्मित है वहीं पक्के आवास आधूनिक संस्साधनों से बनाये गये है। कुछ पक्के आवास ग्रामीणों के स्वयं के लागत से बनाये गये है वहीं कुछ आवास शासकीय योजना अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान राशि से बनाये गये है। ग्राम में सार्वजनिक हैण्डपंप पेयजल के स्रोत के रूप में एक निश्चित दूरी पर व्यवस्था है तथा विद्युत की व्यवस्था भी ग्राम में उपलब्ध है। ग्राम के मुख्य चौराहे पर ही एक किराने की दुकान है। इस दुकान पर ही साप्ताहिक बाजार के दिन एवं अन्य दिनों में ग्रामीणों द्वारा अपने वनोपज तथा उत्पादो का विक्रय और अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं क्रय की जाती है।

गांव के प्रारंभ में शासकीय भवन जैसे ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक व माध्यमिक शाला तथा लेम्प्स भवन है, जो बड़े–बड़े साल–सरई वृक्षों से घिरा हुआ है। इसी स्थान पर कुल 0.80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में साप्ताहिक रूप से हाट–बाजार प्रति रविवार के दिन आयोजित किया जाता है। बाजार के स्थान पर वर्तमान में 8–10 की संख्या में कच्चे व अस्थाई प्रकार के शेड का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। जहां व्यापारियो व क्षेत्रीय दुकानदारों द्वारा कपड़े, बर्तन, मनिहारी व चूड़ी, जूते–चप्पल, किराना समान आदि वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों व स्थानीय लोगों के द्वारा विभिन्न उत्पादों जैसे – साग–सब्जी, औजार, कृषि उपयोगी वस्तु, मिट्टी के बर्तन, बांस–बर्तन, खाने–पीने, मांस–मछली आदि वस्तुओं का भी विक्रय किया जाता है। यह हाट–बाजार अपने क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु है। आदिवासी क्षेत्र होने वनोपज की बहुतायत, लोगों की वनकेंद्रित जीवनशैली तथा निकटवर्ती ग्रामों में विभिन्न जाति/जनजातीय समाज के साथ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार का होना इस साप्ताहिक हाट–बाजार को विशिष्टता प्रदान करता है।

ग्राम पंचायत द्वारा लगने वाले बाजार में व्यापारियों एवं विक्रेताओं से चूंगी या बाजारकर प्रतिवर्ष ठेका के आधार पर प्राप्त किया जाता है। बाजारकर के रूप में बड़े दुकानों से जैसे किराना, कपड़ा, जूता, बर्तन, मनियारी आदि से 20 रुपये एवं साग–सब्जी व छुटकर दुकानों से 10 रुपये प्रति बाजार लिया जाता है।

जिससे बाजार में मूलभूत सुविधा जैसे शेड, पानी, साफ–सफाई, बिजली आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

ग्राम रावनडिग्गी का बाजार एक सीमित क्षेत्र का छोटा बाजार है। अतः वर्तमान में इस बाजार में लगभग 40 व्यापारियों/विक्रेताओं द्वारा ही बाजार लगाया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से 3 कपड़े की दुकान, 2 बर्तन की दुकान, 1 इलेक्ट्रानिक्स की दुकान, 2–3 किराने की दुकान, 2–3 होटल, 1 जुता–चप्पल की दुकान, 2–3 मनियारी की, 1 चुड़ी की, 2–3 दुकानें चना–मुर्रा व पापड़ की, 2–3 मांस–मछली की दुकानें तथा शेष मौसमी साग–सब्जी की दुकानें स्थानीय ग्रामीणों/व्यापारियों द्वारा लगाई जाती है।

रावनडिग्गी ग्राम में साप्ताहिक हाट–बाजार आर्थिक व भौतिक आवश्यकतओं की पूर्ति का केन्द्र बनने के साथ–साथ विगत 2 वर्षो से सामाजिक व धार्मिक आस्था का स्थान भी बन रहा है। ग्राम में बाजार व्यवस्था के आने के बाद से यहां प्रतिवर्ष जनवरी–फरवरी माह में मड़ई का आयोजन भी किया जा रहा है। मड़ई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि के साथ–साथ ग्राम के विकास के लिए प्रमुख देवी–देवताओं को अपना धन्यवाद ज्ञापन कर उन्हें प्रसन्न रखना है। आस–पास के ग्रामों के सदस्यों द्वारा मड़ई आयोजन की तिथि निर्धारित की जाती है, नियत तिथि में अलग–अलग ग्रामों से शीतला माता, कोसमहिन माता व चण्डी माता को एक साथ ग्राम के हाट–बाजार वाले स्थान पर लाकर ''बिहारथे'' अर्थात् घुमाया या परिक्रमा

7 बार करायी जाती है। देवियों की परिक्रमा का काल्पनिक आधार उन्हें एक दूसरे से मेल कराना होता है। देवियों को मेल कराने उपरांत उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामों में कमार जनजाति सदस्य को ही देवी मुख्य ''पूजेरी'' माना जाता है। इनके अतिरिक्त ग्राम में पांच–पंच यथा कमार, गोंड, हल्बा, मरार और विश्वकर्मा जाति सदस्यों के द्वारा देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना कर नींबू, चांवल अर्पित करने के साथ मंद की तरपनी तथा बकरे की पूजेई देकर मंडई का आयोजन किया जाता है। पूर्व में मंडई का आयोजन समीपस्थ ग्राम दर्रीपारा में किया जाता था।

इस प्रकार वर्तमान में ग्राम रावनडिग्गी का हाट – बाजार सामाजिक आस्था का रूप भी ले रहा है। मंडई के दिन इस साप्ताहिक हाट – बाजार की रौनक और भी बढ़ जाती है। आम समय में जहां ग्राम बाजार में 40 व्यापारी होते है वही मंडई के दिन इनकी संख्या बढकर 100 से अधिक हो जाती है। बाजार में दुकानों की अधिकाधिक संख्या व रंग–बिरंगे स्वरूप तथा विभिन्न प्रकार के साजो – सामान की उपलब्धता तथा बच्चों व बड़ों के मनोरंजन के लिए झूले, खेल तथा व्यंजनों की दुकानें चारो ओर सज जाती है। जिस कारण कई ग्रामों के लोग भी सह परिवार मंडई घूमने तथा अपने सगे संबंधियो से मिलने के उद्देश्य से भी ग्राम रावनडिग्गी आते है।

❑❑❑❑

अध्याय - 05 : जनजातीय क्षेत्र में बाजार का दिन

जनजाति समाज में बाजार उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाजार जनजाति समाज की जीवन पद्धति है। यह वह स्थान है जहां एक जनजाति अपने जीवन के सभी पक्षों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक आवश्यकता से जुड़ी वस्तुओं का क्रय करता है। इसलिए जनजाति समाज के लोग एक बाजार हो जाने के दूसरे दिन से ही अगले बाजार की तैयारी में लग जाते हैं। बाजार की तैयारी न केवल घर का मुखिया या पुरुष सदस्य अपितु घर के सभी सदस्य चाहे वह महिलाएं हो, बच्चे हो या युवा हो सभी अपने लिए उपयोगी और आवश्यक वस्तुओं की सूची मानसिक रूप से बनाने लगते है और इसके अनुरूप पुरुष अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद के निर्माण,मत्स्याखेट, शिकार से प्राप्त आदि के संचय करने में लग जाते हैं। वहीं महिलाएं एवं बच्चे समयानुसार वनोपज जैसे इमली, तेंदू, महुऑ, लाख, चार आदि के संग्रहण में संलग्न हो जाते हैं।

ग्रामीण परिवेश में बाजार का दिन किसी विशेष अवसर की भांति होता है और इस अवसर में सम्मिलित होने प्रत्येक वर्ग उत्साहित होता है। परिवार के छोटे बच्चे बाजार जाने लिए सुबह से ही तैयार होते है। बच्चों का उत्साह बाजार में छोटे–छोटे होटलों में मिलने वाले व्यंजन और स्थानीय मिठाईयों के साथ–साथ खिलौने के प्रति होता है। जो उन्होंने पिछले बाजार में देखे होते है। वहीं वयस्क अपने उत्पादों और संकलित वनोपजों के विक्रय और आवश्यक वस्तुओं के क्रय की तैयारियां करते है। परिवार की बालिकाएं व महिलाओं में अपने सौंदर्य प्रसाधन एवं श्रृंगार की चीजें यथा क्रीम, स्नो–पाउडर, चुड़िया, बिन्दी, बाली आदि के प्रति विशेष आशक्ति दिखती है, वहीं पुरुष वर्ग भी अपने उपभोग की वस्तुओं को लेने के साथ–साथ मांस–मछली, मंद आदि के क्रय करने के लिए विशेष रूचि रखते हैं।

बाजार वाले दिन ग्रामीण अंचलों की दिनचर्या अन्य या सामान्य दिनों से अलग हो जाती है। बाजार वाले दिन बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी सुबह जल्दी अपने दैनिक कार्य पूर्ण करने बाद भोजन कर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ अपने दैनिक कपड़ों से अलग विशेष कपड़े पहन कर

बाजार जाने के लिए तैयार होते हैं, तो कुछ अपने दैनिक कपड़ों में ही बाजार जाते हैं। किन्तु सजना संवरना विशेष ही होता है। महिलाएं भी उस दिन सुबह से ही चुड़ी, फुंदरी, पाउडर, गहना–गोटा आदि पहनकर विशेष रूप से श्रृंगार कर बाजार जाने के लिए तैयार होती हैं। जो गांव हाट बाजार से दूर पहाड़ एवं नदी पार हैं, वह गांव वाले हाट बाजार जाने के रास्ते में अपने एवं बच्चों के खाने पीने के लिए भोजन, पानी एवं अन्य स्थानीय खाद्य जैसे कंद साथ लेकर चलते हैं।

बाजार जाने की तैयारी -

बाजार वाले दिन महिला या पुरूष संजने–संवरने के साथ–साथ बाजार में विक्रय करने हेतु अपने वनोंपज तेंदू, इमली, महुआ, लाख, चार, आंवला आदि को **झोला** (थैला) या बांस की बनी **टोकरी** में एकत्र कर रख लेते हैं। कमार जनजाति के सदस्य भी स्वयं

निर्मित उत्पाद जैसे बांस बर्तन आदि को विक्रय करने हेतु सुविधा अनुसार बांधकर तथा अपने सिर पर रखकर पैदल, साइकिल या अन्य वाहन में बांधकर बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार महिलाएं अपने बच्चों के साथ, पुरूष, एवं युवक–युवतियॉ अकेले या समूह में बाजार जाते है। कुछ लोग पैदल अपने परिवार के साथ तो कुछ महिलाऍ साइकिल में या मोटर सायकल में अपने पति के साथ बाजार जाती है। बाजार का दिन उत्साह पूर्ण होता है और ग्राम से बाजार की दूरी अधिक होने पर सभी समूह में हास–परिहास करते, गीत गाते, समूह गान करते तथा परस्पर संवाद करते बाजार जाते है।

बाजार के स्थान पर व्यापारी बाजार लगने के 2–3 घण्टे पूर्व ही व्यापारियों का आना शुरू हो जाता है। व्यापारी अपने दो पहियां, तीन पहिया या चार पहिया वाहनों अपने सामान व्यवस्थित रूप से अलग–अलग बांधकर लेकर आते है। बाजार पहुंचकर सर्वप्रथम वे अपने नियत शेड की साफ–सफाई करते है। कुछ व्यापारी बाजार लगने के एक दिन पूर्व ही से अपने शेड को मौसम के आधार तिरपाल या अन्य साधन से ढकने का प्रबंध भी कराते है। इसके लिए वे स्थानीय सदस्यो को पारश्रमिक भी उपलब्ध कराते है। शेड की व्यवस्था ठीक होने पर लाये गये गठ्ठों में बंधे अपने सामानों को खोलना प्रारंभ करते है। प्रत्येक बंडल या गठ्ठों में बंधे सामानों को अलग–अलग कर वे शेड में उनके स्वरूप, कीमत, तथा क्षेत्र में प्रचलित वस्तुओ की मांग के अनुरूप उनकी एक विस्तृत प्रदर्शनी लगाते है। साथ ही वे अपना स्थान सभी सामग्रियों के बीच मे सुनिश्चित करता है जिससे प्रत्येक सामग्री तक उसकी पहुंच सहज हो तथा क्रेता भी आसानी से वस्तुओं को पसंद कर सके। इस लिए वे क्रेता के बैठने व खड़े होने के लिए एक निश्चित दूरी व स्थान निश्चित कर रखता है।

दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तिकर्ता बाजार -

बाजार में जनजातीय सदस्य एक बाजार (लगभग 06 दिवस) की वस्तु अपनी प्राथमिकता के अनुसार क्रय करते हैं। कमार जनजाति के सदस्य भी अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं में राशन, दालें, मसाले, साबुन, सोडा (डिटर्जेंट),साग–सब्जी के साथ तंबाखू और गुड़ाखू विशेष रूप से खरीदते है। मांस–मछली विशेष अवसर अथवा अतिथि सत्कार के उद्देश्य से दो या तीन बाजार के बाद लिया जाता है। कमार जनजाति द्वारा सूखे महुआ का क्रय भी आवश्यकता अनुसार किया जाता है।

कृषि उपज एवं वनोपजों का विक्रय -

किसी जनजातीय बाजार व्यवस्था के भौतिक रूप को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि, यह विनिमय प्रथा के बाद की कड़ी है। वर्तमान परिवेश में कमार जनजाति या ग्रामीण बाजार में प्रवेश करते ही एक विक्रेता और क्रेता हो जाता है। बाजार के प्रवेश में बाजार के केन्द्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही कुछ व्यापारी एक तिरपाल बिछाकर तथा उसके एक तरफ अपने तराजू लगाकर बाजार आने वाले लोगों की प्रतिक्षा में रहता है। कमार सदस्य या ग्रामीण उस व्यापारी के पास सर्वप्रथम अपने उत्पाद या वनोपजों के साथ पहुंचता है, साथ छोटी बोरी, झोला, टोकरी आदि में लाये वस्तुओं जैसे – महुआ, धान, कोदो, कुटकी, सरई, हर्रा, दलहन आदि को वह व्यापारी के पास विक्रय कर राशि प्राप्त करता है। सामान्यतः एक कमार जनजाति का सदस्य अपने उत्पाद की अल्प मात्रा लगभग 10–20 किलोग्राम ही का विक्रय करता है, जिससे उसका एक बाजार हो सके और अगले बाजार तक की आवश्यक वस्तुओ को वह खरीद सके।

जनजातीय क्षेत्रों वनोपजों के संकलन का निश्चित समय निर्धारित होता है जिसके अनुसार वे संकलित वनोपजों का विक्रय साप्ताहिक हाट–बाजार में करते है। सर्वेक्षित क्षेत्र में वनोपजों वार्षिक कैलेण्डर तथा बाजार मूल्य निम्नांकित है –

क्र.	वनोपज	संकलन का समय (माह)	बाजार मूल्य (रूपये प्रति किलो ग्राम)
1.	हर्रा	जनवरी–फरवरी	15–20
2.	बेहड़ा	फरवरी–मार्च	17–18
3.	महुआ	मार्च–मई	40–50
4.	शहद	अप्रैल–मई	200–250
5.	चार	मई–जून	100–120
6.	चिरौंजी	मई–जून	300–400
7.	सरई	मई–जून	20–30
8.	लाख	जून	300
9.	बोड़ा	जुलाई–अगस्त	300–400
10.	कोसा	जुलाई–अगस्त	200 रुपये साबुत 70–75 रुपये छिलका
11.	करील	जुलाई–अगस्त	100 (20–30 रुपये कुड़ा या भाग)
12.	करू कांदा	जुलाई–अगस्त	10
13.	कोचई	जुलाई–अगस्त	50
14.	सरई लासा (लाख)	नवम्बर	150
15.	पीट कांदा	नवम्बर–दिसम्बर	40–50
16.	भूई लिम	नवम्बर–दिसम्बर	15 रुपये कच्चा 60–70 रुपये सूखा
17.	बायबिडिंग या गुल्ली फल	नवम्बर–दिसम्बर	100–120

कमार जनजाति सदस्य कभी–कभी व्यापारियों के पास से अपनी आवश्यकता की सामग्री जैसे महुआ का क्रय अपने एक या अगले बाजार तक की समयावधी या विशेष आयोजन हेतु मंद निर्माण के लिए करते है। इसके लिए अपने उत्पादों व वनोपजों के विनिमय के द्वारा या सीधे राशि से महुआ का क्रय करते है।

जनजातीय क्षेत्रों में महुआं के फूल प्रतिवर्ष मार्च–अप्रैल के महीने में लगभग 15–20 दिन की अवधि में प्राप्त होता है।कमार जनजाति द्वारा भी पेड़ से गीरे महुआं फूल का संकलन किया जाता है। जिसे वे सूखाकर बाजार में बेच देते है। इस समय इसे 10 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से व्यापारी को बेचा जाता है। वहीं अन्य ऋतु में अथवा घर में महुआं की अनुपलब्ध में कमार जनजाति के द्वारा इसे पुनः व्यापारी से 40 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से क्रय किया जाता है। इस प्रकार वनोपज संग्रह करने वाली जनजाति अपने ही उत्पाद से निर्मित द्वितीयक उत्पाद को अधिक मूल्य में करती है।

कमार जनजाति का कोई सदस्य (पुरूष / महिला) जब बाजार में पहूंचता है तब, वह सर्वप्रथम पूरे बाजार का एक बार भ्रमण / निरीक्षण कर लेता / लेती है, कि कौन–कौन सी सामग्री बाजार में विक्रय के लायी गई है तथा उसके मूल्य क्या–क्या है। बाजार के भ्रमण के बाद वह अपने आवश्यकता तथा कम मूल्य की दुकानों से वस्तुओं को लेने जाता / जाती है।

खान-पान की वस्तुओं का क्रय -

कमार जनजाति में बाजार करने आयी महिलायों बाजार में प्रवेश के बाद सर्वप्रथम राशन की दुकानों की ओर बढ़ती है। राशन की दुकानें प्रायः बड़े व्यापरियों द्वारा संचालित की जाती है। इस कारण इनकी दुकानें बाजार के मध्य में तथा एक स्थायी व पक्की शेड के नीचे लगी होती है। इन दुकानों में तेल, साबून, डिटर्जेंट पाऊडर, शक्कर, नमक, आलू–प्यास, मसाले आदि एक क्रम में प्रदर्शित होती है और व्यापारी अपने सामानों के बीच बैठा होता है जहां से प्रत्येक सामाग्री उसके हाथ की पहुंच में होते है। व्यापारी ग्राहकों द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सामाग्री को निकालकर व बहुत बारिकी से तौलता है और उसे कागज या प्लास्टिक की पन्नी में भरकर ग्राहकों को देता है।

कमार जनजाति में अधिकांशतः की महिला सदस्य ही खान–पान की वस्तुओं की खरीददारी करती है। वह अपने दैनिक खान–पान की आवश्यकतानुसार एक बाजार तक के लिए तेल, दाल–दलहन, आलू, प्याज, सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक आदि मूलभूत आवश्यक चींजों का क्रय करती है। कमार जनजाति द्वारा प्रायः तेल को अपने साथ लाये डिब्बे या प्लास्टिक की पन्नी में 20–30 रूपये या 1 पाव, आधा पाव के रूप में, दाल–दलहन, आलू, प्यास जैसी चींजों को आधा किलो या 1 किलो मात्रा में तथा सूखें मसालों को भागा या 5–10 रूपये के अनुरूप मात्रा में क्रय किया जाता है। साथ ही महिलाओं द्वारा गुड़ाखू और तंबाखू विशेष रूप से बाजार में लिया जाता है। गुड़ाखू का प्रयोग प्रायः मंजनअर्थात् दांत साफ करने हेतु एक मादक पदार्थ के रूप में किया जाता है।

बाजार का एक बड़ा भाग हरी साग–सब्जियों के विक्रेताओं का होता है। ये विक्रेता स्थानीय स्तर पर प्राप्त साग–सब्जियों का विक्रय करने अपने उत्पाद को जमीन पर बिछाकर कमार जनजाति के लोग बाजार में दो या तीन हरी सब्जियों का ही क्रय करते हैं। बाकी दिनों के लिए पूछने पर यह बताया गया कि उनके घर में बाड़ी–बखरी (Kitchen Garden) में उपलब्ध साग–सब्जियों या वन में उपलब्ध कंदमूल एवं अन्य का उपयोग वह बाकी दिनों में करते हैं।

श्रृंगार सामग्री का क्रय -

सामान्य रूप से महिलाएं सौंदर्य के प्रति आशक्त होती है। उसी प्रकार जनजातीय महिलाएं या कन्याएं भी अपने रूप को संवारने तथा श्रृंगार के प्रति विशेष रूचि रखती है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के क्रय के बाद महिलाओं/कन्याओं का ध्यान रंग–बिरंगी व आकर्षक रूप में सजी मनिहारी की दुकान की ओर जाता है। मनिहारी की दुकानें बाजार व्यवस्था में अपने विशेष प्रदर्शन के कारण पृथक ही दिखाई पड़ती है। जिसमे महिलाओं की भीड़ अलग एवं ज्यादा ही दिखलायी देती है।

मनियारी की दुकान में विक्रेता के द्वारा विभिन्न प्रकार की रंग–बिरंगी सामग्री जैसे बालों या केश के लिए फुंदरी, जुड़ा, बक्कल, रिबन, क्लेचर, हेयरबैण्ड, माथे पर की बिन्दी, आंख के काजल, नाक की नथनी, कालन की बाली, गले कीमालाएं, कलाई की चुड़ियां, कंगन, उंगलियों के लिए अंगुठियां आदि के साथ–साथ पाऊडर, स्नो, नेलपेंट की प्रदर्शनी लगाई जाती है। महिलाएं एक–एक कर अपनी आवश्यकता और रूचि की चींजों को क्रेता से मांगती है और उन्हें पहनकर या लगाकर देखती है।

कन्याएं बड़े उत्साह से संग आयी सहेलियों उस सामग्री का उसपर जंचना या कैसा दिख रहा है पूछती है और कई बार उन्हें पहनकर खुद को भी आइनें में देखती है। अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद वे विक्रेता से उसकी कीमत पूछकर उसकी कीमत पर मोल–भाव कर कुछ राशि कम करने को कहती है। विक्रेता से मोल–भाव हो जाने पर वह उन्हें खरीद लेती है और यदि विक्रेता राशि कम नही करता जो कभी–कभी वे उस दुकान को छोड़कर अगली दुकान की ओर चल पड़ती है।

जो महिलाएं या कन्याएं अकेली आती है और जिनके घर पर और महिला सदस्य जैसे बेटी, बहन, माता, ननद आदि होती है जो वे उनके लिए भी उनकी आवश्कता या मंगाये अनुसार सौंदर्य सामग्री पसंद करती है और खरीदती है। महिलाओं की आशक्ति सौंदर्य सामग्री के प्रति विशेष रूप से रहती है अतः जो वस्तुएं वे इस बाजार में नही ले पाती तो वे कुछ चींजें यूं ही देख लेती है और मन में उन्हें अगले बाजार में खरीदने की लालसा के साथ अगले दुकान की ओर चल पड़ती है।

चूड़ी की दूकान -

मनिहारी की दुकान के समीप ही खुले आसमान के नीचे अस्थायी शेड पर कई रंग–बिरंगी कांच की चुड़ियों का बंडल एक कतार में सजा कर रखी रहती है, वह है चूड़ी की दुकान। व्यापारी अलग–अलग कलाई के नाप की रंग–बिरंगी चुड़ियों को नीचे चादर में सजाकर रखत है। जिसे देखकर विवाहित महिलाएं उस दुकान पर आती है। कमार महिलाएं पहले तो उस दुकान के सामने खड़ी होकर

अपने मन में चुड़ियों के रंग के प्रति अपनी सोच को केन्द्रित करती है और अपने से पूर्व चूड़ी पहन रही महिला को बड़े ध्यान से देखती रही है तथा उसके उस स्थान से उठने की प्रतिक्षा करती रही है। स्वयं की बारी आने पर महिला दुकानदार के और चूड़ी के सामने बैठ जाती है। दुकानदार उसे मनपसंद रंग की चूड़ी पसंद करने कहता है जिस पर वह चूड़ी बंडल पर अपनी उंगली रख कर अपनी पसंद दुकानदार को बतलाती है। दुकानदार उस चूड़ी के बंडल को अपनी ओर लेकर उससे बंडल से अलग करता है। इसके बाद कमार महिला अपनी कलाई दुकानदार की ओर बड़ाती है और दुकानदार उसकी कलाई तथा पूर्व में पहनी गई चूड़ी के माप के अनुमान से बंडल की चूड़िया निकालने लगता है। चूड़ियों का एक निश्चित माप लेने के लिए दुकानदार सबसे पहले महिला के कलाई की एक चूड़ी को लेकर उसे बंडल की चूड़ियों से मिलाता है।

विवाहिता महिला को नई चूड़ियां पहनाने के पूर्व दुकानदार द्वारा महिला के हाथों की एक चूड़ी छोड़कर अन्य चूड़ियां एक–एक कर तोड़कर निकाली दी जाती है। दुकानदार द्वारा विवाहिता महिला को चूड़ियां पहनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि,चूड़ियां पहनाते समय महिला की कलाई सूनी न हो वरन् कम से कम एक चूड़ी उसके हाथ में निरंतर पहनी रहे और एक ही माप की चूड़ियां महिला को 2–3 की संख्या में पहनाना शुरू

करता है। महिलाएं अपने दोनों हाथों की कलाई में एक—एक दर्जन (12 नग) या उससे अधिक चूडियॉ पहनती है। महिलाओं की चूंड़ियों से भरी कलाई बहुत ही सुंदर लगती है, जिसे देखकर महिला भी अपने सुहाग के स्वस्थ रहने की कामना मन ही मन कर बैठती है।

आभूषण का क्रय -

सोने चांदी के आभूषण की दुकान भी आकर्षण का केंद्र है। गांव में,परिवार में, आसपास के गांव में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों के लिए आभूषण, बर्तन आदि की खरीददारी बाजार से ही की जाती है।कमार जनजाति द्वारा आभूषण क्रय करने समय यह देखा गया कि, आभूषण महंगे होने के कारण वे दुकानदार को पूरा पैसा नहीं दे पाते है, तो दुकानदार द्वारा उन्हें किस्त में आभूषण देते हैं तथा अगले बाजारों में वे धीरे—धीरे किस्त में पैसा जमा करके पूरा पैसे दुकानदार को दे देते है। इस प्रकार बाजार में व्यापारी एवं जनजातियों के बीच विश्वास का संबंध बना रहता है।

परिधानों का क्रय -

परिधान प्रत्येक समुदाय और व्यक्ति को विशेष पहचान प्रदान करता है। कई क्षेत्रों व जनजाति समुदाय को उनमें प्रचलित परिधान से दूर से ही देख कर अन्य से पृथक पहचाना जा सकता है। जनजातीय समुदाय में परिधानों या कपड़ों का क्रय विशेष आयोजनों के समय ही अधिकांशतः किया जाता है। वर्तमान समय में कपड़ों का क्रय आवश्यकता अनुसार तथा अल्प मात्रा में किया जाता है। वनांचलों या सुदूर क्षेत्रों में निवासरत जनजाति समुदायों द्वारा कपड़ों की खरीदी का मुख्य केन्द्र बाजार ही होता है। क्योंकि बाजार तक

पहुंच सुगम व कम खचीला होता है। बाजार में कपड़ों की दुकाने भी बाहरी व बड़े व्यापारियों द्वारा स्थायी रूप से निर्मित शेड के नीचे रहती है।

कपड़ों की आवश्यकता होने पर कमार जनजाति के सदस्य सर्वप्रथम कपड़े के व्यापारी की

दुकान पर जाकर दुकान में लगी कपड़ो की प्रदर्शनी से अपने पसंद अनुसार कपड़ो का चयन उसके रंग के आधार पर करते है। एक कमार सदस्य कपड़े लेते समय उसकी दुकानदार को उसका माप नही बताता अर्थात वह यह नही बता पाता की उससे कौन से साइज का कपड़ा चाहिए। स्वयं के लिए कपड़े लेने की स्थिति में वह दुकानदार को केवल यह कहता है कि **मोर लाइक चाही**।इसी प्रकार यदि किसी अन्य सदस्य या बच्चे की माप का कपड़ा लेना हो तो वह उसकी अनुमानित आयु दुकानदार को बताता है या अपने हाथ को एक निश्चित ऊंचाई में उठाकर बताता है कि **अतेक बड़ होही**। दुकानदार व्यक्ति की कद काठी देखकर उसके माप का कपड़ा तथा अपने अनुभव व अनुमान से कपड़े उसे दिखाता है।

दुकानदार द्वारा कपड़ा दिखाने के बाद पसंद के रंग तथा डिजाइन का चयन किया जाता है और उसे उस सदस्य के शरीर रखकर लंबाई और चौड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से माप लिया जाता है। माप ठीक होने पर तथा कपड़ा पसंद आ जाने पर दुकानदार से कीमत का मोल–भाव कर कीमत कम करने का भी आग्रह किया जाता है। कभी–कभी कमार जनजाति के सदस्य के पास उतनी राशि नही होती जितना मूल्य दुकानदार बताता है। इस स्थिति में दुकानदार उससे उसके पास रखे पैसों की जानकारी पूछता है और कीमत के आधार दूसरा कोई कपड़ा भी दिखाता है।

कई बार कमार जनजाति के सदस्य के पास पर्याप्त राशि नही होने पर दुकानदार द्वारा आपसी व्यवहार तथा उसके परिचित होने पर वह कपड़ा यह कहकर दे दिया जाता है कि, शेष राशि अगले बाजार में वह उससे ले लेगा। इस प्रकार बाजार आपसी विश्वास का स्थान भी बन जाता है। जिसमें वे एक दूसरे के विश्वास पर आपसी लेन–देन कर लेते है।

बर्तनों का क्रय -

जनजातीय समाज अपने सीमित भौतिक संसाधनों पर ही जीवन निर्वाह करता है। भौतिक संसाधनों में परिवार हेतु घरेलु, कृषि उपयोग एवं शिकार उपकरणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कमार जनजाति द्वारा अपने परंपरागत कृषि उपकरणों एवं शिकार उपकरणों का निर्माण स्वयं कर लिया जाता है। किन्तु घरेलु उपयोग की वस्तुओं के लिए वह अन्य समुदाय अथवा बाजार पर निर्भर होता है। कमार जनजाति में घरेलु उपयोग हेतु मिट्टी एवं धातु निर्मित वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। पूर्व में घरेलु उपकरणों यथा भोजन पकाने हेतु हाण्डी, परई, पानी भरने के लिए मटकी या घड़े का उपयोग, तथा भोजन खाने सरई वृक्षों के पत्तों से निर्मित पतरी का उपयोग किया जाता था।

कालांतर में मिट्टी व पत्तों के पात्र की उपयोग कम और उनका स्थान एल्युमिनियम, स्टील व कांसे के बर्तनों ने ले लिया है। अतः उक्त बर्तनों या पात्रों के लिए व्यापारियों पर निर्भरता बड़ी है जिन्हें प्रायः बाजार से क्रय किये जाते है। बाजार की यह दुकानें बाहरी व्यापरियों द्वारा लगायी जाती है, जो ज्यादातर शहरी संपर्क में होते है और एक बाजार से दूसरे बाजार में जाते है।

कमार जनजाति अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के रूप में एल्युमिनिय तथा स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। घर में उपयोगी बर्तनों की आवश्कता अनुसार तथा पुराने बर्तनों के टूट–फूट हो जाने पर नए बर्तनों का क्रय बाजार से ही किया जाता है। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों में नव दम्पत्ति को उनके गृहस्थ जीवन में उपयोगी बर्तनों को टीकावन में उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए धातु के बर्तनों का क्रय करते है। नव दम्पत्ति को प्रायः कांसे या स्टील के बर्तन भेंट किये जाते है।वैवाहिक लेन–देन के संबंध में माना जाता है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों को देंगे वैसा व्यवहार हमे भी प्राप्त होगा अर्थात् दुसरों के विवाह में अच्छा देंगे, तो जब हमारे घर विवाह होगा तो वह भी अच्छा देंगे।

हाट–बाजार में बर्तन की दुकानें 1–2 की संख्या में ही लगती है। जहां व्यापरियों द्वारा बर्तन तौल या वजन के आधार पर विक्रय किया जाता है।

मनोरंजन के संसाधन -

कमार जनजाति के सदस्य बाजार से सभी दैनिक उपयोग की चींजें क्रय कर लेने के बाद भूख मिटाने एवं बच्चों की रूचि अनुसार उन्हें खुश करने बाजार के किनारे लगे छोटे–छोटे होटल या टपरीकी ओर बढ़ते है। बाजार में होटल में बनने वाले ताजे व्यजनों जैसे समोसा, भजिया, आलूचाप, जलेबियों, गुलगुला भजियां, सलोनी, खस्ता, पुड़ी, चटनी, चाय आदि की खुशबू चारों ओर फैलती रहती है। इनकी खूशबू सहसा लोगों को अपनी ओर आकर्षिक करती रहती है। बाजार की सुबह से

ही होटलों के संचालक अपने परिवार के सदस्यों या कुछ एक कर्मचारियों के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहते है। इनके द्वारा होटलों में एक स्थान पर ईट व मिट्टी से निर्मित बड़े व छोटे आकार के चुल्हे बनाये जाते है। इन छोटे–छोटे होटलों के संचालक एक बाजार के हिसाब से अपने कच्चे माल को तैयार कर बाजार में लाते है या वहीं बाजार में समान तैयार करते है।

इन होटलों में सभी सामग्री गरमा–गर्म होती है, इनमें बनने वाले समोसे, भजिया, आलूचाप आदि को पत्ते के दोना या स्टील के प्लेट में अलग से चटनी के साथ परोसा जाता है। जिन्हें देखकर ही मूंह में पानी आ जाया करते है और जिन्हें देखकर खुद को रोक पाना संभव नही रह जाता है। बाजार में मिलने वाले ये व्यंजन 10 रूपये प्रति प्लेट तक आसानी से मिल जाते है। बाजार करने आये अधिकांश लोग दिनभर बाजार करने से लगी भूख मिटाने या बच्चों को खुश करने बड़े शौक से होटल में बैठकर गरमा–गर्म नाश्ता–चाय का आनंद लेते हैं। वहीं घर के जो सदस्य बाजार करने नही आ सके उनके लिए भी कुछ न कुछ सामग्री पृथक से पत्तल, कागज या दोने में बांधकर लेकर जाते है। साथ ही बाजार में अलग–अलग स्थान पर मिलने वाली स्थानीय रेवड़ी, मिक्चर, चना, मुर्रा, मुर्रा लाड़ू (मुर्रे की लड्डू), करी लाड़ू (बेसन के लड्डू) आदि विक्रय किया जाता है, जिसे घर में बच्चों एवं सभी के लिए बाजार से खजानी के रूप में लेकर जाते है।

मांस- मछलियां -

सम्पूर्ण बाजार व्यवस्था में एक स्थान और शेष रह जाता है, वह है मांस–मछली की दुकानें यह दुकानें स्थानीय व गैर स्थानीय सदस्यों की होती है। प्रायः इनके दुकान खुले आसमान के नीचे बाजार के अंतिम छोर पर होती है। मांस–मछली का व्यापार कच्चा व्यापार कहलाता है। जहां जनजाति या गैर जनजाति सदस्य स्थानीय तालाबों व नदियों में मिलने वाली मछलियों को लाते है। ये भी लाये गये मछलियों को

उनके विभिन्नता के अनुसार तथा छोटे–बड़े आकार के अनुसार उन्हें एक प्लास्टिक के उपर रखे होते है। जिससे उन्हें लेने वाले ग्राहक सहजता से पसंद कर सके। ग्राहक के मछली पसंद कर लेने के बाद विक्रेता उन्हें अपने तराजू में तौलता है। तोलकर वह उसका भाव ग्राहक को बतलाता है सौदा हो जाने के बाद उन मछलियों के स्केल्स को अपने लोहे के औजार से अच्छी तरह साफ करता है तथा छोटे–बड़े आकार में काटकर उन्हें प्लास्टिक की थैली में डालकर ग्राहक को देता है। कई बार ग्राहक के द्वारा अतिरिक्त सिर का भाग मांगे जाने पर वह किसी अन्य मछली के सिर का भाग भी तौल में डालकर प्रसन्नता से दे देता है।

जनजातीय क्षेत्रों में इन दुकानों में एक बात और देखी जाती है कि, यदि विक्रेता के पास बड़े आकार की और ज्यादा वजन की मछली होती है किन्तु एक ग्राहक उसे लेने मे अक्षम होता है तब वह एक अन्य ग्राहक के साथ उस मछली को लेने को कहता है और उस मछली का बराबर हिस्सा कर दोनों ग्राहकों को दे देता है।

इसी स्थान के करीब या समाने मुर्गा–मुर्गी की दुकान होती है जहां देशी मुर्गा–मुर्गी, काकरेल एवं बायलर प्रकार की मुर्गियां बेची जाती है। इनके संचालक द्वारा भी वजन के अनुसार या एक नग के अनुसार मुर्गा–मुर्गी का विक्रय किया जाता है।

अन्य सामग्रियां -

हाट–बाजार में कच्चा और पक्का सामग्री के बाद एक अन्य प्रकार का खाद्य प्रदार्थ भी विक्रय के लिए रखा जाता है। जिसे **सुकसी** कहा जाता है। कच्ची मछली को आग में भुनकर या धूप मे सुखाकर रखा जाता है। इस प्रकार का संग्रह मछली की अपर्याप्ता की स्थिति में विशेष रूप से बड़े शौक से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से मछली को ज्यादा दिनों तक संग्रहित रखकर विक्रय किया जा सकता है। बाजार में सुकसी बेचने वाला वर्ग

अधिकांशतः महिलाओं का होता है। जनजातीय या गैर जनजातीय महिलाएं विभिन्न प्रकार की छोटी–छोटी मछलियों को एक टोकरी में रखकर उसका विक्रय करती है जिसमें टेंगना, कोतरी, सलांगी, डेमचुल, बाम्बी और चिंगरी आदि मछली शामिल होती है। सामान्यतः सुकसी को कुड़ा या भागा या छोटे बड़े डिब्बों में मापकर बेचा जाता है। स्थानीय बाजार में सुकसी 10–20 कुड़ा/भागा अथवा 50–100 डिब्बा में विक्रय किया जाता है।

जनजाति समाज में या देखा गया है कि पुरुषों द्वारा शिकार या मछली या अन्य वनोपज संकलन करने में मुख्य भूमिका होती है। किन्तु उसके रख–रखाव, संग्रहण एवं उत्पाद के उपयोग एवं विक्रय का अधिकार महिला सदस्यों के लिए सुरक्षित होता है, जो कि जनजाति समाज में पारिवारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।

साप्ताहिक हाट बाजार से अपने दैनिक उपयोग व आवश्यकता की वस्तुओं के क्रय करने के बाद सदस्य किसी वृक्ष की छावं या किसी दुकान की आड़ में या एक स्थान पर अपने साथ आए साथियों की प्रतिक्षा करते है। इस दौरान वे परस्पर खरीदी गई वस्तुओं की चर्चा भी करते है। चर्चा के माध्यम से उनके द्वारा बाजार से क्रय न की जाने वस्तुओं का परीक्षण भी हो जाता है कोई वस्तु विशेष के छुट जाने पर वे उसे क्रय कर लेते है। प्रतीक्षा के समय अन्य ग्रामों से आये परिचित व रिश्तेदारों से भी भेट का अवसर उन्हें मिल जाता है। इस प्रकार परिचितों से सुख–दुख भी साझा करने का अवसर प्राप्त कर लेते है।

साथ में आये सभी साथियों के एकत्र हो जाने के बाद सभी बाजार कर (वस्तुओं की खरीदी कर) उन्ही पगडंडियों से अपने घर व ग्राम की ओर चल पड़ते है।

कमारों के बांस बर्तन का विक्रय -

कमार जनजाति सदस्यों के उत्पाद अर्थात उनके द्वारा बनाये गये बांस–बर्तन, कृषि व शिकार उपयोगी उपकरण, सामाजिक व आर्थिक महत्व की वस्तुएं तथा कुछ सजावटी और मनोरंजन के उपकरणों को प्रायः कोचिये उनके ग्रामों से ही खरीद कर उन्हें उनका मेहनताना प्रदाय कर देते है। जिससे वे बाजार व्यवस्था से सीधे रूप से न जुड़ एक अप्रत्यक्ष माध्यम से जुड़े होते है। जिनका उपभोक्ता से संबंध वास्तविक न होकर आभासी रह जाता है।

कमार जनजाति द्वारा स्वयं बाजार में अपने उत्पाद लाने की स्थिति में इनका बाजार में कोई विशेष स्थान नही रहता है। किन्तु कुछ बाजारों में ये बाजार के अंतिम या प्रारंभिक छोर पर अपने वाहनों पर वस्तुओं को बांधे हुए या सड़क के एक किनारे अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाये दिख जाते है।

बाजार पहुंचने वाले सदस्य अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय कर उन्हें रखने हेतु क्रमशः टोकनी, झापी आदि का क्रय करते है। जिन्हें कमार 50–60 रूपये में विक्रय करता है। वहीं कमार जनजाति द्वारा बनाये गये पर्रा, बिछना, धूकनी (हाथखड़ा), चटाई, मौर, चुरकी आदि सामग्री की मांग ग्रामीण परिवेश में वैवाहिक कार्यक्रमों आज भी बहुत होती है अतः इस समय इनके उत्पादों की बिक्री सामान्य दिनों से ज्यादा होती है। वैवाहिक कार्यक्रमों के उपयोग की वस्तुओं का एक सैट लगभग 1500–1700 रूपये में बाजार में स्थानीय बाजार मे विक्रय किये जाते है। वैवाहिक उपयोग की वस्तुओं के एक सेट में पर्रा 4 नग, धुकनी/बिजना 2 नग, झलकना (बड़ी आकृति का) 1 नग, भात परोसने के लिए झेझरी 3 नग, वर–वधू के बैठने के लिए चाप 2 नग, सिकुन 1 मुठ्ठी होता है।

कमारों द्वारा बनाये गये कृषि उपयोगी वस्तुओं यथा टुकनी, टुकना, झापी, झउंहा, सूपा आदि की मांग कृषिकाल में अत्यधिक होती है। उपरोक्त के अतिरिक्त बच्चों के खिलौनों में झुनझुना, बांसुरी आदि मनोरंजन के साधन के रूप मे कमार जनजाति द्वारा बहुत ही सुन्दर रूप में बनाकर रंगे हुए विक्रय किये जाते है।इस प्रकार कमार जनजाति के बनाये गये उत्पाद न केवल उनके आर्थिक महत्व की होती है बल्कि वह सामाजिक सहसंबंध के रूप में भी बहुपयोगी होता है।

बाजार प्रमुखतरू लोगों की समागम का स्थान है। जहां लोग अपने सगे संबंधियों से मिलकर विशेष आयोजनों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु की सूचना अथवा परस्पर आमंत्रण देने के लिए जाते हैं।एक हाट–बाजार अलग–अलग गांव से आने पर महिला व पुरूष सदस्य मित्रों से मिलने, महिलाएं अपने पितृ पक्ष से मिलने की लालसा लिए जाती हैं। वही माता–पिताभी अपनी विवाहित पुत्री के सुख–दुख को जानने के लिए बाजार आते हैं।सामान्यतः इस प्रकार का मिलाप बाजार से अलग किसी पेड़ की छाया में बहुत ही मर्मस्पर्शी होता है। अपनी पुत्री के लिए बाजार से ही उसके लिए 'जोरा' गांव में ना मिलने वाली चीजें एवं घर की बनी बड़ी, कांदा आदि संग्रह करके लाते हैं।बाजार में अचानक ही रिश्तेदार या अपने गांव के पहचान के मिल जाने पर लोगों का खुश होकर मिलना, पैर छुकर अभिवादन करना, घर–परिवार, गांव की बातें करना आदि बहुत ही सुखद स्थिति होती है।

बाजार का महत्व -

आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट—बाजार जनजाति के जीवन का केन्द्र है। यह आर्थिक संस्था नहीं अपितु सामाजिक संस्था का भी एक रूप है। कमारों का निवास स्थल दूरस्थ बीहड़ जंगलों में होने के कारण, शहरों से पहुंच आसान न होने आवागमन के साधन का गांव तक पहुंच न पाना आदि कारणों से स्थानीय स्तर पर आयोजित साप्ताहिक हाट—बाजार का कमार जनजातियों में विशेष महत्व है।

कमार जनजाति के लोग अपने जीवनपयोगी आवश्यक वस्तुओं जैसे नमक, दालें, सूखे मसालें आदि के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। वे अपने दैनिक उपयोगी चीजें खान—पान, वेशभूषा आदि सभी प्रकार की आवश्यकता साप्ताहिक हाट—बाजार से पूरी करते है। इनके जीवनपयोगी वस्तुओं में नमक, सूखे मसाले, हरी साग—सब्जियां, साबुन—सोडा (डिटर्जेंट), दालें, आलू, प्याज, मंजन, मादक पदार्थ आदि है।

स्थानीय साप्ताहिक हाट—बाजार वह स्थान है, जहां कमार जनजाति के साथ—साथ अन्य लोग अपनी दैनिक जरूरत की वस्तुओं का क्रय के साथ—साथ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को आधार है। सप्ताह में लगने वाला बाजार आदिवासियों के लिए हर मायने में जरूरी है।

बाजार में उन सभी सामानों की पूर्ति हो जाती है, जो उसे रोजमर्रा में आवश्यक होता है। बाजार भरना लोगों में एक नई ऊर्जा, उल्लास और जोश को दोगुना कर देता है। धूप हो या छांव, मीलों पैदल चलकर या अपनी सुविधा के अनुरूप वाहन या नदी पार कर ग्रामीण बाजार में पहुंचते है।

घर में होने वाले सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम जैसे छ्टठी, विवाह, मृत्यु संस्कार आदि कार्यक्रमों के लिए उपयोगी वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, बांस – बर्तन, धार्मिक क्रियाकलापों के सामान, बच्चों के शिक्षा उपयोगी सामान – कॉपी किताब, पेन, मनोरंजन के समान खिलौने आदि के क्रय के लिए साप्ताहिक हाट – बाजार पर निर्भर है।

अतः बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए अपितु स्थानीय स्तर पर मेल–जोल, मनोरंजन एवं सूचना के आदान प्रदान का केंद्र है।

अध्याय - 06 : समस्या एवं सुझाव

समस्याएं

साप्ताहिक हाट–बाजारों का नियमित एवं अनुशासित ढ़ग से संचालन किया जाता रहा है। परन्तु इन हाट–बाजारों में कुछ समस्याएं दृष्टिगत होती है जो निम्न है –

1. अधिकांशतः बीहड़ जंगलों में बसे गावों में होने वाले साप्ताहिक हाट–बाजारों में बाजार वस्तुओं का क्रय मूल्य एवंबाजार मूल्य निर्धारित नहीं होने के कारण ग्रामीणों के उत्पादों का कोचियाओं/बड़े व्यवसायी के द्वारा कम दर पर क्रय कर उनका शोषण किया जा रहा है।
2. हाट–बाजारों में व्यवसायियों द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्री सौदंर्य प्रसाधन एवं अन्य वस्तुओं में मिलावट या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं का भी क्रय किया जाता है, जिससे स्वास्थ्यगत समस्याओं का जन्म होता है।
3. बाजारों में पर्याप्त शेड नहीं होने के कारण विक्रेताओं को पेड़ क नीचे या स्वयं अपनी व्यवस्था पर दुकान लगाना पड़ता है, जिससे बाजार में अव्यवस्था एवं समय का नुकसान होता है।
4. बाजारों में पर्याप्त रोड तथा बाजार स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण बारिश, गर्मी आदि में विक्रेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
5. वर्तमान परिवेश में 'कोरोना' महामारी के चलते कई साप्ताहिक हाट–बाजार बंद हो गए है, जिससे ग्रामीणों को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के क्रय में समस्या आ रही है तथा उन्हें अपने क्षेत्र से दूर बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे उनके समय, अर्थ के नुकसान के साथ –साथ अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
6. साप्ताहिक हाट–बाजार संचालित होने वाले ग्रामों में अन्य सुविधाओं जैसेः– बैंक, साख, चिकित्सा जैसे अधोसंरचना के अभाव के कारण आम जनता को इन सुविधाओं के लिए ब्लॉक विकासखण्ड तक जाना पड़ता है, जिसे धन एवं समय का नुकसान होता है।

सुझाव -

साप्ताहिक हाट बाजार नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित हो रहा है,जिसमें कुछ और कार्य अपेक्षित है, जिसके लिए सुझाव हैं :–

1. हाट–बाजारों में व्यापारियों के लिए दुकान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। अतरू उनके लिए पर्याप्त शेड पंचायत स्तर से बनवाने चाहिये। ताकि धूप, गर्मी, बरसात में उनका व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे।
2. बाजार स्थल पर सार्वजनिक स्वच्छ पेयजल,शौचालय एवं स्वच्छता आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. हाट बाजार वाले स्थान पर यात्री प्रतिक्षालय या सांस्कृतिक भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बाहर गांव से आने वाले ग्रामीणों को बाजार स्थल पर बैठने व थोड़ा आराम करने का स्थान मिल सके।
4. बाजार स्थल में बाजार वाले दिन में शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन करवाया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का एक साथ अन्य काम भी हो जाए, वे शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें और शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़े।
5. बाजार में वस्तुओं के बाजार दर का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे जनजाति एवं अन्य स्थानीय विक्रेताओं का कोचिया या बड़े व्यापारी द्वारा शोषण ना किया जा सके।
6. शासन की योजना पौनी पसारी योजना का हाट बाजारों में प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, जिससे जनजाति एवं अन्य स्थानीय लोग जो स्वयं अपने उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें बाजार के अलावा भी समान बिक्री की सुविधा उपलब्ध हो सके।

❑❑❑❑

सारांश

हाट बाजार ग्रामीण अंचलों विशेषकर जनजातियों की संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ा अभिन्न पहलू है। यह वह स्थान है जहां स्थानीय लोग अपने जीवन के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साप्ताहिक हाट बाजार ग्रामीण अंचलों में नियमित एवं अनुशासित ढंग से संचालित होता है। जहां साग–सब्जी, बर्तन, आभूषण, कपड़े, मांस–मछली, महुआ, मंद आदि की बिक्री के लिए लोग एक निश्चित स्थान पर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर बैठते हैं। स्थान विशेष के लिए कभी विवाद की स्थिति निर्मित नही होती वहीं सार्वजनिक रूप से मांस–मछली, मंद आदि के विक्रय शासन के नियमानुसार अनुशासित तरीके से किया जाता है।

क्षेत्र विशेष में केन्द्र बिन्दु पर सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार अपने क्षेत्र के स्थानीय लोगों, समाज के लिए आवश्यक सिद्ध होता है। यह स्थानीय लोगों के साथ–साथ जनजाति समाज द्वारा उत्पादित या संकलित उत्पाद चाहे वह वनोपज हो, शिकार हो, साग–सब्जी या उनके द्वारा निर्मित उत्पाद बांस–बर्तन,झाड़ू आदि के बिक्री का स्थान प्रदान करने के साथ–साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध कराता है। एक हाट–बाजारसामाजिक संबंधों के निर्वाह, रिश्तेदारों से मेल मिलाप, विवाह, जन्म, मृत्यु एवं अन्य विषय के संबंध में सूचना आदान–प्रदान का केंद्र भी है। हाट–बाजार में ग्रामीण समाज के साथ–साथ जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की एक पृथक ही झलक प्रस्तुत करता है।

साप्ताहिक हाट बाजार सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र है।यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक शाख है, अपितु आदान–प्रदान, विनिमय के माध्यम से ग्रामीण एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। इसे आसपास के स्थानीय जीवन के सांस्कृतिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए स्थानीय संपर्क प्रणाली के रूप में भी देखा जा सकता है। पुरातन काल से अब तक ग्रामीण/जनजातीय साप्ताहिक हाट बाजार प्रासंगिक रहा है।

❑❑❑❑

Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND
TRAINING INSTITUTE

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

Website : www.cgtrti.gov.in, E-mail : trti.cg@nic.in,

Phone : 0771-2960530, Fax : 0771-2960531